एपीडा
APEDA

# वार्षिक रिपोर्ट

2018-19

**कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा)**

(वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार)

एपीडा
APEDA

# वार्षिक रिपोर्ट
# 2018-19

## कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण

(वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार)

विषय सूची

# विषय सूची


**1. एपीडा की स्थापना ........ 5**

1.1 एपीडा संगठन संरचना ........ 5

1.2 निर्दिष्ट कार्य ........ 7

1.3 एपीडा द्वारा मॉनीटर किए गए उत्पाद ........ 8

1.4 एपीडा प्राधिकरण की संरचना ........ 9

1.5 प्रशासनिक संरचना ........ 10

**2. एपीडा का निर्यात परिदृश्य ........ 12**

2.1 कृषि निर्यात में एपीडा की हिस्सेदारी (अप्रैल 2018 - मार्च 2019) ........ 12

2.2 प्रमुख 15 बाजारों में एपीडा के निर्यात की हिस्सेदारी (%) (2018-19) ........ 13

2.3 एपीडा के प्रमुख उत्पाद और प्रमुख बाजार (% हिस्सेदारी 2018-19) ........ 14

2.4 वर्ष 2018-19 के दौरान एपीडा का निर्यात प्रदर्शन ........ 17

**3. प्राधिकरण की बैठकें और सांविधिक कार्य ........ 19**

4. निर्यातकों का पंजीकरण ..... 19

4.1 पंजीकरण-सह-सदस्यता प्रमाणपत्र (आरसीएमसी) ..... 19

4.2 पंजीकरण-सह-आवंटन प्रमाणपत्र (आरसीएसी) ..... 20

4.2.1 बासमती चावल के निर्यात के लिए जारी आरसीएसी ..... 20

4.2.2 मूँगफली और मूँगफली उत्पादों के निर्यात के लिए जारी निर्यात प्रमाणपत्र (सीओई) 20

5. एपीडा में राजभाषा का कार्यान्वयन ..... 21

6. एपीडा की कृषि निर्यात संवर्धन योजना संबंधी स्कीम ..... 22

7. एपीडा के ई-गवर्नेंस प्रयास ..... 23

8. बागवानी क्षेत्र (ताजे फल और सब्जियाँ एवं पुष्पकृषि) ..... 24

9. प्रसंस्कृत एवं अन्य प्रसंस्कृत खाद्य क्षेत्र ..... 28

10. पशुधन क्षेत्र ..... 29

11. अनाज क्षेत्र ..... 31

12. जैविक क्षेत्र ..... 32

13. अवसंरचना विकास ..... 34

14. गुणवत्ता विकास ..... 36

15. अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय आयोजनों में भागीदारी ..... 37

15.1 अंतर्राष्ट्रीय आयोजन ..... 37

15.2 संवर्धन कार्यक्रम ..... 39

15.3 राष्ट्रीय आयोजन ..... 40

16. एपीडा के क्षेत्रीय कार्यालयों के क्रियाकलाप ..... 43

16.1 गुवाहाटी ..... 43

16.2 हैदराबाद ..... 45

16.3 बंगलुरु ..... 46

16.4 कोलकाता ..... 46

16.5 मुंबई ..... 48

17. एपीडा का पुनर्गठन ..... 53

18. कृषि निर्यात नीति ..... 53

# 1. एपीडा की स्थापना

कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) की स्थापना भारत सरकार द्वारा दिसंबर, 1985 में संसद द्वारा पारित कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम के अंतर्गत की गई थी। यह अधिनियम (1986 का 2) भारत के राजपत्र: असाधारण: भाग-**II** [(खंड 3(**ii**): 13-2-1986)] में जारी अधिसूचना द्वारा 13 फरवरी, 1986 से लागू हुआ। प्राधिकरण ने प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात संवर्धन परिषद (पीएफईपीसी) को प्रतिस्थापित कर दिया।

एपीडा अधिनियम की धारा 21(2) अध्याय **V** के संदर्भ में प्राधिकरण के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति, जिसमें गत वित्तीय वर्ष के दौरान प्राधिकरण के क्रियाकलापों, नीति और कार्यक्रमों का सटीक और सम्पूर्ण विवरण दिया गया हो, को प्रति वर्ष केंद्र सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है ताकि इसे संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जा सके।

यह वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) का 33वां वार्षिक प्रतिवेदन है।

## 1.1 एपीडा संगठन संरचना

कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) का मुख्यालय नई दिल्ली में है और अध्यक्ष, एपीडा इसके प्रमुख हैं।

एपीडा ने मुंबई, बंगलुरु, हैदराबाद, कोलकाता और गुवाहाटी में 5 क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किए हैं।

नई दिल्ली
मुख्यालय
क्षेत्रीय कार्यालय
बंगलुरू
गुवाहाटी
कोलकाता
हैदराबाद
मुंबई

## 1.2 निर्दिष्ट कार्य

कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम 1985 (1986 का 2) के अनुसार प्राधिकरण को निम्नलिखित कार्य सौंपे गए हैं।

(क) सर्वेक्षण और व्यावहारिक अध्ययन द्वारा संयुक्त उद्यमों के माध्यम से इक्विटी पूंजी में सहभागिता तथा अन्य अनुदानों के लिए वित्तीय तथा अन्य सहायता प्रदान करके निर्यात के लिए अनुसूचित उत्पादों से संबंधित उद्योगों का विकास।

(ख) निर्धारित शुल्क का भुगतान करने पर अनुसूचित उत्पादों के निर्यातकों के रूप में व्यक्तियों का पंजीकरण करना।

(ग) निर्यात हेतु अनुसूचित उत्पादों के मानक और विशिष्टताएँ तय करना।

(घ) बूचड़खानों, प्रसंस्करण संयंत्रों, भंडारण परिसरों, वाहनों अथवा ऐसे अन्य स्थानों जहां ऐसे उत्पाद रखे या संभाले जाते हैं, माँस एवं माँस उत्पादों का निरीक्षण करना जिससे कि ऐसे उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सके।

(ड.) अनुसूचित उत्पादों की पैकिंग में सुधार लाना।

(च) भारत से बाहर अनुसूचित उत्पादों के विपणन में सुधार।

(छ) निर्यातोन्मुख उत्पादों को बढ़ावा देना और अनुसूचित उत्पादों का विकास करना।

(ज) अनुसूचित उत्पादों के उत्पादन, प्रसंस्करण, पैकिंग, विपणन अथवा निर्यात में प्रवृत्त कारखानों अथवा संस्थानों के मालिकों अथवा अनुसूचित उत्पादों से संबंधित किसी मामले में निर्धारित किए गए किन्हीं अन्य व्यक्तियों से आंकड़ों का संग्रह करना और इस तरह संग्रह किए गए आंकड़ों अथवा उनके किन्हीं अंशों अथवा उनके उद्धरणों को प्रकाशित करना।

(झ) अनुसूचित उत्पादों से संबंधित उद्योगों के विभिन्न पहलुओं में प्रशिक्षण प्रदान करना।

(ञ) निर्धारित किए गए ऐसे अन्य मामले।

## 1.3 एपीडा द्वारा मॉनीटर किए गए उत्पाद

एपीडा अधिनियम की प्रथम सूची में निम्नलिखित अधिसूचित उत्पादों के निर्यात संवर्धन तथा विकास का उत्तरदायित्व भी सौंपा गया है:

| | |
|---|---|
| 1. | फल, सब्जियाँ और इनके उत्पाद |
| 2. | माँस और माँस उत्पाद |
| 3. | कुक्कुट और कुक्कुट उत्पाद |
| 4. | डेयरी उत्पाद |
| 5. | कन्फेक्शनरी, बिस्कुट और बेकरी उत्पाद |
| 6. | शहद, गुड़ और चीनी |
| 7. | कोको और उनके उत्पाद, सभी प्रकार के चॉकलेट |
| 8. | मादक तथा गैर-मादक पेय पदार्थ |
| 9. | अनाज और अनाज उत्पाद |
| 10. | मूँगफली तथा अखरोट |
| 11. | अचार, पापड़ और चटनी |
| 12. | ग्वारगम |
| 13. | पुष्पकृषि और पुष्पकृषि उत्पाद |
| 14. | जड़ी-बूटी और औषधीय उत्पाद पौधें |

चावल को एपीडा अधिनियम की दूसरी अनुसूची में शामिल किया गया है।

जैविक उत्पादों के निर्यात हेतु बनाए गए राष्ट्रीय जैविक उत्पाद कार्यक्रम (एनपीओपी) के अंतर्गत निकायों के प्रमाणीकरण के कार्यान्वयन हेतु राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (एनएबी) को सेवा देने के लिए एपीडा सचिवालय के रूप में कार्य करता है। "राष्ट्रीय जैविक उत्पाद कार्यक्रम (एनपीओपी)" के अंतर्गत निर्धारित मानकों के अनुरूप उत्पादन, प्रसंस्करण तथा पैकिंग करने पर ही निर्यात के लिए "जैविक उत्पादों" को प्रमाणित किया जाना होता है।

## 1.4 एपीडा प्राधिकरण की संरचना

जैसा कि संविधि द्वारा निर्धारित किया गया है, एपीडा प्राधिकरण में निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं यथा:

**एपीडा प्राधिकरण**

- केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त एक अध्यक्ष;
- भारत सरकार के कृषि विपणन सलाहकार, पदेन;
- नीति आयोग का प्रतिनिधित्व करने वाला एक सदस्य जिसे केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है;
- संसद के तीन सदस्य जिनमें से दो लोक सभा से चुने जाते हैं और एक राज्य सभा से चुना जाता है;
- केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त आठ सदस्य जो कि केंद्र सरकार के निम्न विषयों से संबंधित मंत्रालयों का प्रतिनिधित्व करेंगे:
  - (i) कृषि एवं ग्रामीण विकास
  - (ii) वाणिज्य
  - (iii) वित्त
  - (iv) उद्योग
  - (v) खाद्य
  - (vi) नागरिक आपूर्ति
  - (vii) नागर विमानन
  - (viii) नौपरिवहन एवं परिवहन
- केंद्र सरकार द्वारा राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले पाँच सदस्य जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा वर्णक्रमानुसार बारी-बारी से नियुक्त किया जाता है;
- निम्नलिखित संगठनों का प्रतिनिधित्व करने वाले केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त सात सदस्य:
  - (i) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद;
  - (ii) राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड;
  - (iii) राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ;
  - (iv) केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकीय अनुसंधान संस्थान;
  - (v) भारतीय पैकेजिंग संस्थान;
  - (vi) मसाला निर्यात संवर्धन परिषद और
  - (vii) काजू निर्यात संवर्धन परिषद।
- केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किए जाने वाले बारह सदस्य जो निम्नलिखित उद्योगों का प्रतिनिधित्व करेंगे:
  - (क) फल एवं सब्जी उत्पाद उद्योग;
  - (ख) माँस, कुक्कुट और डेयरी उत्पाद उद्योग;
  - (ग) अन्य अनुसूचित उत्पाद उद्योग;
  - (घ) पैकेजिंग उद्योग।
- केंद्र सरकार द्वारा कृषि, अर्थशास्त्र तथा अधिसूचित उत्पादों के विपणन के क्षेत्र के विशेषज्ञ एवं वैज्ञानिकों में से नियुक्त दो सदस्य।

## 1.5 प्रशासनिक संरचना

| | |
|---|---|
| अध्यक्ष | केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त |
| निदेशक | एपीडा द्वारा नियुक्त |
| सचिव | केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त |
| अन्य अधिकारी और कर्मचारी | एपीडा द्वारा नियुक्त |

एपीडा अधिनियम की धारा 7(3) में प्राधिकरण द्वारा ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए प्रावधान किया गया है जैसा कि इसके कार्यों के कुशल निष्पादन के लिए आवश्यक हो।

क, ख, ग और घ की विभिन्न श्रेणियों (*अध्यक्ष सहित) में कुल स्वीकृत कर्मचारी क्षमता 124* है।

### प्राधिकरण के अध्यक्ष

श्री डी.के. सिंह ने 01.04.2018 से 19.7.2018 तक एपीडा के अध्यक्ष का कार्यभार सँभाला।

सुश्री अनीता प्रवीण, संयुक्त सचिव, वाणिज्य विभाग ने 20.07.2018 से 19.9.2018 तक एपीडा के अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार सँभाला।

श्री पबन कुमार बॉरठाकुर ने 20.09.2018 से 31.03.2019 तक एपीडा के अध्यक्ष का कार्यभार सँभाला।

### निदेशक

श्री सुनील कुमार ने दिनांक 01.04.2018 से 31.03.2019 तक एपीडा के निदेशक का कार्यभार सँभाला।

## प्राधिकरण के अधिकारी और कर्मचारी

समीक्षाधीन अवधि के दौरान संगठन में 124 की कुल स्वीकृत कर्मचारी क्षमता (अध्यक्ष और सचिव सहित) की तुलना में कर्मचारियों की कुल संख्या 84 थी। एपीडा प्राधिकरण के कर्मचारियों का श्रेणी-वार ब्यौरा निम्नानुसार था:

| | |
|---|---|
| सरकार में समूह क पदों के समकक्ष श्रेणियों में (अध्यक्ष और सचिव सहित) | 23 |
| सरकार में समूह ख पदों के समकक्ष श्रेणियों में | 31 |
| सरकार में समूह ग पदों के समकक्ष | 30 |

प्राधिकरण द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के कार्मिकों और महिला कर्मचारियों के कल्याण और विकास का पर्याप्त ध्यान रखा है। एपीडा में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के कार्मिकों और महिला कर्मचारियों की ओर से ऐसी कोई शिकायत लंबित नहीं है जिसका समाधान न हुआ हो।

एपीडा ने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त करने के लिए एक समिति का गठन किया है जिसकी अध्यक्षता उप महाप्रबंधक स्तर की एक महिला अधिकारी कर रही हैं।

सरकारी मानकों के अनुसार शारीरिक रूप से दिव्यांग व्यक्तियों के लिए आरक्षण सभी संवर्गों में कुल कार्मिक संख्या का 4% है। वर्तमान में 84 कर्मचारियों में से दो दिव्यांग कर्मचारी हैं। एपीडा में दिव्यांग व्यक्तियों के कल्याण का ध्यान रखा जाता है। एपीडा ने एक दिव्यांग कर्मचारी को कार्यालय में एक स्थान से दूसरे स्थान तक आने-जाने के लिए मोटर-युक्त पहियेदार कुर्सी प्रदान की है। इसके अतिरिक्त उन्हें नियमानुसार सभी सुविधाएं दी जाती हैं। अब तक उनकी ओर से कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

वर्तमान में एपीडा में समूह क, ख और ग में 25 महिला कर्मचारी हैं। महिला कर्मचारियों के कल्याण का पूरा ख्याल रखा जाता है और किसी भी महिला कर्मचारी की ओर से उत्पीड़न के बारे में या उनके कल्याण के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

## 2. एपीडा का निर्यात परिदृश्य

### 2.1 कृषि निर्यात में एपीडा की हिस्सेदारी (अप्रैल 2018 - मार्च 2019)

| कृषि निर्यात में एपीडा की हिस्सेदारी (अप्रैल 2018 - मार्च 2019) | |
|---|---|
| कुल व्यापारिक निर्यात | यू एस $ 330.1 बिलियन |
| कृषि उत्पादों का निर्यात (कपास सहित) | यू एस $ 38.7 बिलियन |
| कुल व्यापारिक निर्यात में कृषि उत्पादों का हिस्सा | 11.7% |
| एपीडा की निगरानी वाले उत्पादों का निर्यात (सभी कृषि उत्पादों का 48.6%) | यू एस $ 18.68 बिलियन |

**स्रोत:** डीजीसीआईएस, प्रिंसिपल कमोडिटीज (अनंतिम)

**कृषि उत्पादों का निर्यात (2018-19)**

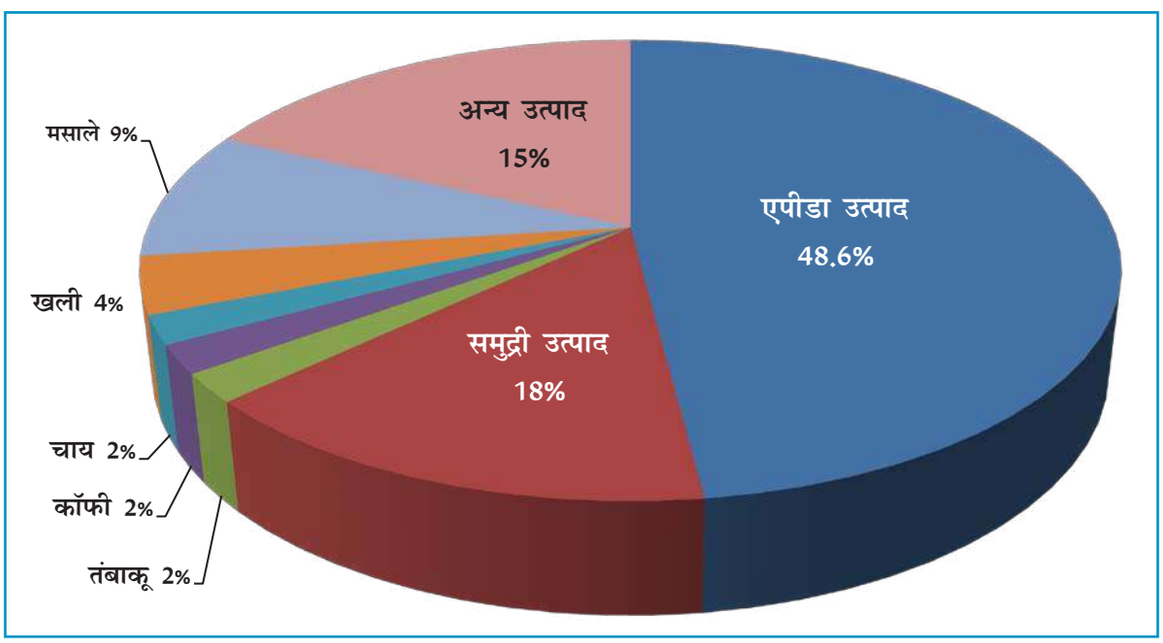

## 2.2 प्रमुख 15 बाजारों में एपीडा के निर्यात की हिस्सेदारी (%) (2018-19)

| देश का नाम | 2018-19 | |
|---|---|---|
| | मूल्य मिलियन अमेरिकी डॉलर में | % हिस्सेदारी |
| वियतनाम सोशलिस्ट रिपब्लिक | 1890.5 | 10.1 |
| ईरान | 1647.5 | 8.8 |
| सऊदी अरब | 1384.9 | 7.4 |
| संयुक्त अरब अमीरात | 1216.9 | 6.5 |
| संयुक्त राज्य अमेरिका | 1167.3 | 6.2 |
| इंडोनेशिया | 752 | 4.0 |
| नेपाल | 721.9 | 3.9 |
| बांग्लादेश पीआर | 695.4 | 3.7 |
| मलेशिया | 650.1 | 3.5 |
| इराक | 640.7 | 3.4 |
| नीदरलैंड | 369.7 | 2.0 |
| यूनाइटेड किंगडम | 363.1 | 1.9 |
| ओमान | 327.4 | 1.7 |
| कुवैत | 314.9 | 1.7 |
| यमन गणराज्य | 292.9 | 1.6 |

**स्रोत:** डीजीसीआईएस

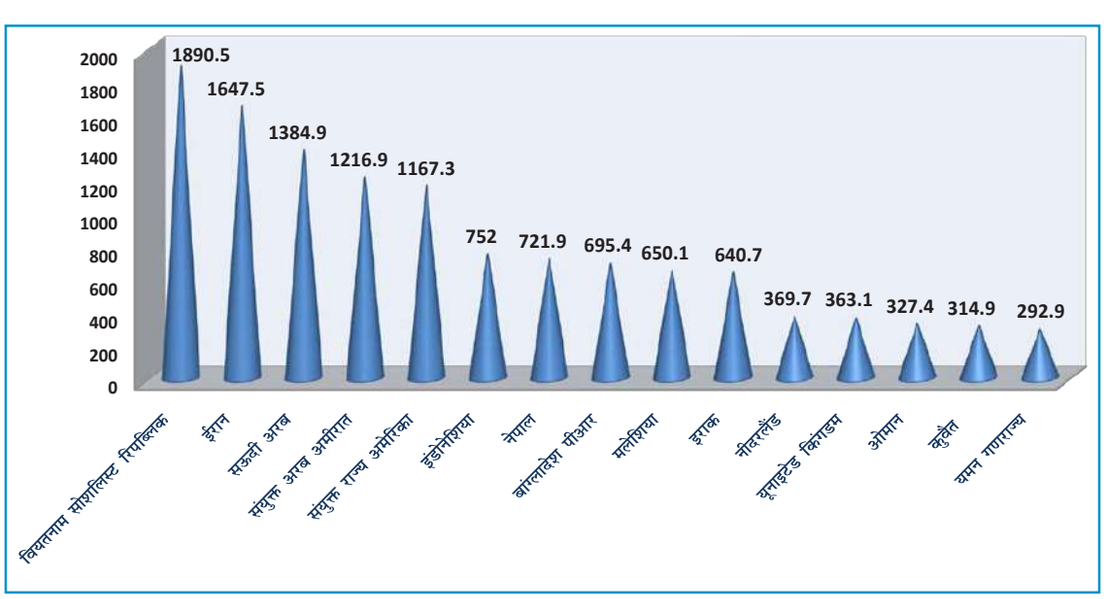

## 2.3 एपीडा के प्रमुख उत्पाद और प्रमुख बाजार ( % हिस्सेदारी 2018-19 )

| मादक पेय | | | | |
|---|---|---|---|---|
| संयुक्त अरब अमीरात (27.4%) | सिंगापुर (10.4%) | नीदरलैंड (6.5%) | घाना (6.1%) | नाइजीरिया (4.5%) |
| **पशुओं की केसिंग** | | | | |
| वियतनाम सोशलिस्ट रिपब्लिक (88.2%) | म्यांमार (7.6%) | दक्षिण अफ्रीका (0.9%) | मलेशिया (0.8%) | पुर्तगाल (0.6%) |
| **बासमती चावल** | | | | |
| ईरान (32.9%) | सऊदी अरब (20%) | इराक (8.5%) | संयुक्त अरब अमीरात (6.3%) | यमन गणराज्य (4.5%) |
| **भैंस का माँस** | | | | |
| वियतनाम सोशलिस्ट रिपब्लिक (47.2%) | मलेशिया (10.3%) | इंडोनेशिया (9%) | इराक (4.8%) | म्यांमार (3.5%) |
| **अनाज से निर्मित उत्पाद** | | | | |
| संयुक्त राज्य अमेरिका (16.9%) | नेपाल (10%) | संयुक्त अरब अमीरात (8.2%) | बांग्लादेश पीआर (7.3%) | यूनाइटेड किंगडम (5.2%) |
| **कोको उत्पाद** | | | | |
| संयुक्त राज्य अमेरिका (27.1%) | इंडोनेशिया (9.7%) | तुर्की (9%) | संयुक्त अरब अमीरात (7.1%) | नेपाल (5.9%) |
| **दुग्ध उत्पाद** | | | | |
| संयुक्त राज्य अमेरिका (24.6%) | तुर्की (10.6%) | संयुक्त अरब अमीरात (10%) | मिश्र अरब गणराज्य (8.6%) | बांग्लादेश पीआर (8.2%) |
| **पुष्पकृषि** | | | | |
| संयुक्त राज्य अमेरिका (25.7%) | नीदरलैंड (13.6%) | यूनाइटेड किंगडम (7.8%) | जर्मनी (6.9%) | संयुक्त अरब अमीरात (6%) |

| ताजे फल | | | | |
|---|---|---|---|---|
| संयुक्त अरब अमीरात (17.1%) | नीदरलैंड (17.1%) | बांग्लादेश पीआर (6.8%) | यूनाइटेड किंगडम (6.5%) | रूस (6.4%) |
| **ताजी सब्जियाँ** | | | | |
| बांग्लादेश पीआर (15.3%) | संयुक्त अरब अमीरात (15%) | मलेशिया (10.6%) | नेपाल (8.8%) | श्रीलंका डीएसआर (7.8%) |
| **फल / सब्जियों के बीज** | | | | |
| नीदरलैंड (22.4%) | संयुक्त राज्य अमेरिका (20.2%) | पाकिस्तान आईआर (14.2%) | बांग्लादेश पीआर (8.6%) | थाईलैंड (4%) |
| **मूँगफली** | | | | |
| इंडोनेशिया (40.9%) | फिलीपींस (9.8%) | वियतनाम सोशलिस्ट रिपब्लिक (8.2%) | मलेशिया (6.3%) | थाईलैंड (5.5%) |
| **ग्वारगम** | | | | |
| संयुक्त राज्य अमेरिका (41.1%) | चीन पीपुल्स रिपब्लिक (13.8%) | रूस (7%) | नार्वे (6.6%) | जर्मनी (5.4%) |
| **मिल के उत्पाद** | | | | |
| संयुक्त राज्य अमेरिका (30.7%) | संयुक्त अरब अमीरात (11.7%) | कतर (6.6%) | ऑस्ट्रेलिया (5.8%) | यूनाइटेड किंगडम (5.2%) |
| **विभिन्न प्रसंस्कृत वस्तुएँ** | | | | |
| संयुक्त राज्य अमेरिका (16.6%) | संयुक्त अरब अमीरात (9.7%) | नेपाल (7.7%) | इंडोनेशिया (5.6%) | मलेशिया (5%) |
| **गैर-बासमती चावल** | | | | |
| नेपाल (9.3%) | बेनिन (8.8%) | सेनेगल (7.3%) | बांग्लादेश पीआर (6%) | गिनी (5.9%) |

| अन्य अनाज | | | | |
|---|---|---|---|---|
| नेपाल (31.5%) | बांग्लादेश पीआर (19.4%) | पाकिस्तान आईआर (9.5%) | फिलीपींस (5.6%) | वियतनाम सोशलिस्ट रिपब्लिक (5.4%) |
| **अन्य माँस** | | | | |
| भूटान (88.6%) | वियतनाम सोशलिस्ट रिपब्लिक (8.4%) | नेपाल (1.2%) | जाम्बिया (1%) | श्रीलंका डीएसआर (0.2%) |
| **कुक्कुट उत्पाद** | | | | |
| ओमान (35.2%) | मालदीव (9.4%) | जापान (8%) | वियतनाम सोशलिस्ट रिपब्लिक (7.4%) | इंडोनेशिया (6.2%) |
| **प्रसंस्कृत फल एवं रस** | | | | |
| संयुक्त राज्य अमेरिका (13%) | नीदरलैंड (11.8%) | सऊदी अरब (9.4%) | यूनाइटेड किंगडम (7.1%) | जर्मनी (4.4%) |
| **प्रसंस्कृत माँस** | | | | |
| संयुक्त अरब अमीरात (45.1%) | म्यांमार (17.9%) | कतर (13.4%) | मालदीव (9.8%) | भूटान (4.8%) |
| **प्रसंस्कृत सब्जियाँ** | | | | |
| संयुक्त राज्य अमेरिका (21.5%) | फ्रांस (6.6%) | यूनाइटेड किंगडम (6.4%) | जर्मनी (6.3%) | बेल्जियम (6.3%) |
| **दालें** | | | | |
| अल्जीरिया (16.5%) | संयुक्त अरब अमीरात (8.6%) | संयुक्त राज्य अमेरिका (8.2%) | श्रीलंका डीएसआर (7.7%) | तुर्की (5.6%) |
| **भेड़/बकरी का माँस** | | | | |
| संयुक्त अरब अमीरात (57.8%) | सऊदी अरब (9.8%) | कतर (9.3%) | कुवैत (8.9%) | वियतनाम सोशलिस्ट रिपब्लिक (7.4%) |
| **गेहूं** | | | | |
| नेपाल (75.7%) | बांग्लादेश पीआर (9.4%) | संयुक्त अरब अमीरात (4.7%) | सोमालिया (2.8%) | श्रीलंका डीएसआर (1.6%) |

## 2.4 वर्ष 2018-19 के दौरान एपीडा का निर्यात प्रदर्शन

| उत्पाद | 2016-17 | | 2017-18 | | 2018-19 | | 2017-18 से 2018-19 में % वृद्धि | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | रुपये करोड़ में | मिलियन अमेरिकी डॉलर में | रुपये करोड़ में | मिलियन अमेरिकी डॉलर में | रुपये करोड़ में | मिलियन अमेरिकी डॉलर में | रुपये | अमेरिकी डॉलर |
| बासमती चावल | 21512.9 | 3216.6 | 26870.2 | 4169.5 | 32804.3 | 4722.5 | 22.1 | 13.3 |
| भैंस का मांस | 26161.5 | 3912.0 | 26033.8 | 4036.9 | 25168.3 | 3608.7 | -3.3 | -10.6 |
| गैर बासमती चावल | 16929.9 | 2531.5 | 22967.8 | 3564.4 | 21185.3 | 3047.8 | -7.8 | -14.5 |
| ग्वार गम | 3106.6 | 464.2 | 4169.6 | 646.9 | 4707.1 | 676.5 | 12.9 | 4.6 |
| विविध तैयार वस्तुएँ | 2565.8 | 383.8 | 2947.1 | 457.1 | 4073.0 | 583.3 | 38.2 | 27.6 |
| तैयार अनाज | 3565.6 | 533.0 | 3559.9 | 552.3 | 3859.6 | 553.2 | 8.4 | 0.2 |
| ताजा प्याज | 3106.1 | 464.0 | 3088.8 | 479.3 | 3468.9 | 498.2 | 12.3 | 3.9 |
| मूंगफली | 5444.3 | 811.6 | 3386.3 | 524.8 | 3298.3 | 473.8 | -2.6 | -9.7 |
| प्रसंस्कृत फल, जूस और नट | 2492.7 | 372.8 | 2647.8 | 410.8 | 2805.0 | 402.5 | 5.9 | -2.0 |
| प्रसंस्कृत सब्जियां | 2280.0 | 341.1 | 2211.6 | 343.1 | 2474.0 | 354.8 | 11.9 | 3.4 |
| दुग्ध उत्पाद | 905.7 | 135.4 | 1196.2 | 185.5 | 2423.0 | 345.7 | 102.6 | 86.4 |
| ताजा अंगूर | 1781.7 | 268.3 | 1900.0 | 294.6 | 2335.3 | 334.8 | 22.9 | 13.6 |
| मादक पेय | 1991.4 | 297.6 | 2105.9 | 326.7 | 2104.0 | 301.7 | -0.1 | -7.6 |
| अन्य ताजी सब्जियाँ | 2589.5 | 387.0 | 1848.8 | 286.8 | 1951.0 | 279.1 | 5.5 | -2.7 |
| मक्का | 1030.1 | 153.6 | 1228.5 | 190.3 | 1872.5 | 270.3 | 52.4 | 42.0 |
| अन्य ताजे फल | 1629.6 | 243.7 | 1443.8 | 224.1 | 1834.6 | 262.4 | 27.1 | 17.1 |
| दलहन | 1278.8 | 191.8 | 1473.3 | 228.3 | 1680.2 | 242.7 | 14.0 | 6.3 |
| गुड़ और कन्फेक्शनरी | 1467.9 | 219.5 | 1380.4 | 214.2 | 1606.5 | 230.2 | 16.4 | 7.5 |
| खीरा और ककड़ी (तैयार तथा परिरक्षित) | 936.2 | 140.1 | 1285.2 | 199.5 | 1437.1 | 206.0 | 11.8 | 3.3 |

| उत्पाद | 2016-17 | | 2017-18 | | 2018-19 | | 2017-18 से 2018-19 में % वृद्धि | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | रुपये करोड़ में | मिलियन अमेरिकी डॉलर में | रुपये करोड़ में | मिलियन अमेरिकी डॉलर में | रुपये करोड़ में | मिलियन अमेरिकी डॉलर में | रुपये | अमेरिकी डॉलर |
| कोको उत्पाद | 1086.8 | 162.7 | 1144.4 | 177.5 | 1350.9 | 193.3 | 18.0 | 8.9 |
| मिल किए गए उत्पाद | 813.5 | 121.7 | 876.6 | 136.0 | 1060.2 | 151.9 | 20.9 | 11.7 |
| फल औरसब्जियों के बीज | 522.8 | 78.4 | 670.9 | 104.0 | 849.2 | 122.8 | 26.6 | 18.0 |
| भेड़ / बकरी का मांस | 869.7 | 130.0 | 835.8 | 129.7 | 790.7 | 113.7 | -5.4 | -12.3 |
| प्राकृतिक शहद | 557.8 | 83.5 | 653.6 | 101.3 | 732.2 | 105.5 | 12.0 | 4.1 |
| कुक्कुट उत्पाद | 530.4 | 79.3 | 552.2 | 85.7 | 687.3 | 98.4 | 24.5 | 14.8 |
| आम का गूदा | 846.0 | 126.4 | 673.9 | 104.5 | 657.7 | 94.0 | -2.4 | -10.1 |
| पुष्पकृषि | 546.7 | 81.8 | 507.3 | 78.7 | 571.4 | 82.0 | 12.6 | 4.2 |
| अन्य अनाज | 395.6 | 59.2 | 373.7 | 57.9 | 554.2 | 79.7 | 48.3 | 37.6 |
| पशु केसिंग | 13.8 | 2.1 | 327.4 | 50.7 | 480.7 | 68.5 | 46.8 | 35.1 |
| गेहूँ | 447.9 | 67.2 | 624.4 | 96.7 | 425.0 | 60.5 | -31.9 | -37.4 |
| ताजा आम | 443.7 | 67.0 | 382.3 | 59.3 | 406.5 | 60.3 | 6.3 | 1.7 |
| कैसिइन | 237.7 | 35.4 | 104.7 | 16.2 | 220.5 | 31.3 | 110.7 | 92.8 |
| अन्य (पान की पत्तियां और नट) | 190.2 | 28.4 | 137.5 | 21.3 | 174.3 | 25.0 | 26.7 | 17.3 |
| एल्बुमिन (अंडे और दूध) | 87.8 | 13.2 | 83.7 | 13.0 | 103.1 | 14.8 | 23.1 | 13.9 |
| अखरोट | 55.2 | 8.3 | 127.2 | 19.7 | 66.8 | 9.6 | -47.5 | -51.3 |
| अन्य मांस | 0.2 | 0.0 | 16.4 | 2.6 | 13.7 | 2.0 | -16.4 | -23.1 |
| प्रसंस्कृत मांस | 4.6 | 0.7 | 9.9 | 1.5 | 13.5 | 2.0 | 36.4 | 26.6 |
| **कुल** | 108426.7 | 16212.5 | 119846.7 | 18591.6 | 130245.5 | 18709.3 | 8.7 | 0.6 |

**स्रोत:** डीजीसीआईएस

## 3. प्राधिकरण की बैठकें और सांविधिक कार्य

वर्ष 2018-19 के दौरान एपीडा की तीन बैठकें क्रमशः दिनांक 26 जून, 2018, 09 जनवरी, 2019 और 26 मार्च, 2019 को आयोजित की गईं।

## 4. निर्यातकों का पंजीकरण

### 4.1 पंजीकरण-सह-सदस्यता प्रमाणपत्र (आरसीएमसी)

कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम 1985 (यथा संशोधित) की धारा 12 की उप-धारा (1) के अधीन एक या एकाधिक अनुसूचित उत्पादों का निर्यात करने वाला हर व्यक्ति, जिस तारीख को ऐसा निर्यात शुरू करता है, उस तारीख से एक माह समाप्त होने से पूर्व या इस धारा के लागू होने की तारीख से तीन माह की समाप्ति से पहले, जो भी बाद में हो, प्राधिकरण को अनुसूचित उत्पाद अथवा अनुसूचित उत्पादों के निर्यातक के रूप में पंजीकरण हेतु आवेदन करेगा। पंजीकरण-सह-सदस्यता प्रमाणपत्र (आरसीएमसी) एपीडा के अनुसूचित उत्पादों के निर्यातकों को जारी किया जाता है और जारी किए गए प्रमाणपत्रों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

| क्र. सं. | कार्यालय का नाम | आरसीएमसी की कुल संख्या (नए) | आरसीएमसी की कुल संख्या (नवीकरण) | आरसीएमसी की कुल संख्या (संशोधन) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | बेंगलुरु | 1591 | 232 | 585 |
| 2 | दिल्ली | 1174 | 348 | 552 |
| 3 | गुवाहाटी | 69 | 10 | 12 |
| 4 | हैदराबाद | 435 | 80 | 156 |
| 5 | कोलकाता | 376 | 80 | 118 |
| 6 | मुंबई | 2497 | 429 | 929 |
| | **कुल** | **6142** | **1179** | **2352** |

## 4.2 पंजीकरण-सह-आवंटन प्रमाणपत्र ( आरसीएसी )

### 4.2.1 बासमती चावल के निर्यात के लिए जारी आरसीएसी

महानिदेशक, विदेश व्यापार, भारत सरकार, नई दिल्ली (डीजीएफटी) द्वारा जारी की गई दिनांक 1 अगस्त, 2016 की अधिसूचना सं. 18/2015-20 के माध्यम से बासमती चावल के निर्यात को माल के लदान से पहले एपीडा के साथ अनुबंधों के पंजीकरण के शर्ताधीन अनुमति दी गई है। एपीडा द्वारा दिनांक 16/09/2016 के व्यापार नोटिस और समय-समय पर जारी किए गए संशोधनों की आवश्यकताओं के अनुसार आवेदन की जांच करने के बाद पंजीकरण-सह-आवंटन प्रमाणपत्र (आरसीएसी) जारी किए जाते है।

| कुल आरसीएसी | मात्रा ( मिलियन एमटी ) | एफाओबी मूल्य ( मिलियन अमेरिकी डॉलर में ) |
|---|---|---|
| 30422 | 4.3 | 5290 |

### 4.2.2 मूँगफली और मूँगफली उत्पादों के निर्यात के लिए जारी निर्यात प्रमाणपत्र ( सीओई )

एपीडा द्वारा मूँगफली और मूँगफली के उत्पादों के निर्यातकों/संसाधकों को उस मात्रा के लिए निर्यात प्रमाणपत्र जारी किए जाते हैं जो प्राधिकृत प्रयोगशाला द्वारा जारी की गई परीक्षण रिपोर्ट, जिसमें यह कहा गया हो कि प्रसंस्करण और पैकेजिंग पंजीकरण संख्या के साथ एपीडा द्वारा पंजीकृत प्रसंस्करण इकाई, गोदाम में की गई है, के आधार पर एफ्लेटोक्सिन परीक्षण को पास करती है। सीओई के लिए ऑनलाइन आवेदन प्राप्त होने पर एपीडा प्रक्रिया के अनुपालन की जांच करता है और उसके बाद डिजिटल हस्ताक्षर के साथ ऑनलाइन सीओई जारी किया जाता है।

| कुल सीओई | मात्रा ( एमटी में ) |
|---|---|
| 25223 | 496783.296 |

## 5. एपीडा में राजभाषा का कार्यान्वयन

वर्ष 2018-19 के दौरान राजभाषा अधिनियम और भारत सरकार के राजभाषा संबंधी नियमों के विभिन्न प्रावधानों का प्रभावी रूप से कार्यान्वयन किया गया। प्राधिकरण द्वारा किए गए कुछ क्रियाकलापों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

**5.1.** वर्ष के दौरान राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें नियमित रूप से आयोजित की गई।

**5.2.** राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के प्रावधानों का कार्यान्वयन किया गया।

**5.3.** हिन्दी में कार्य करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए एपीडा में प्रोत्साहन योजनाएँ लागू हैं। संगठन के अधिकारियों और कर्मचारियों को हिन्दी में प्रभावी कार्य के लिए नकद पुरस्कार प्रदान किए गए।

**5.4.** हिन्दी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ाने के लिए एपीडा के कर्मचारियों को राजभाषा संबंधी प्रशिक्षण/संगोष्ठी/कार्यशाला में भाग लेने के लिए नियुक्त किया गया।

**5.5.** वर्ष 2018-19 के दौरान 14-28 सितंबर के दौरान हिन्दी पखवाड़ा मनाया गया। दैनिक कार्यालयी कार्य में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इन प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले कर्मचारियों को सम्मानित करने और हिन्दी में काम करने को प्रोत्साहित करने के लिए पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया गया।

**5.6.** दिनांक 14.09.2018 को एनसीयूआई भवन के परिसर में स्थित छः अन्य कार्यालयों के साथ मिल कर संयुक्त रूप से हिन्दी दिवस मनाया गया जिसमें प्रख्यात लेखकों, पत्रकारों, अन्य प्रतिष्ठित अतिथियों आदि को आमंत्रित किया गया।

**5.7.** कर्मचारियों को हिन्दी में नियमित रूप से टिप्पण कार्य करने में सहायता प्रदान करने के लिए सभी फाइलों के कवर पर सामान्य तौर पर प्रयुक्त होने वाले वाक्यांशों को द्विभाषी रूप से प्रिंट कराया जाता है।

**5.8.** प्रत्येक प्रभाग में नियत लक्ष्यों को हासिल करने और राजभाषा कार्यान्वयन की निगरानी करने के लिए प्रत्येक प्रभाग में नोडल अधिकारी नामित किए गए।

**5.9.** राजभाषा के प्रयोग को प्रोत्साहित करने के लिए प्रत्येक कर्मचारी को "कार्यालय सहायिका" दी गई है और प्रत्येक अनुभाग को अंग्रेजी-हिन्दी शब्दकोश दिया गया है।

**5.10.** एपीडा की वेबसाइट हिन्दी में उपलब्ध है और समय-समय पर इसे अद्यतन किया गया है।

**5.11.** राजभाषा के व्यावहारिक कार्यान्वयन के लिए और हिन्दी में पत्राचार में वृद्धि करने के लिए एपीडा ने प्रयास किए हैं और निम्नलिखित ऑनलाइन प्रमाणपत्र द्विभाषी रूप से जारी किए जा रहे हैं:

(क) आरसीएमसी

(ख) आरसीएसी

(ग) निर्यात प्रमाणपत्र

(घ) शैलिंग सह ग्रेडिंग इकाई के लिए मान्यता प्रमाणपत्र

(ड.) बागवानी पैकहाउस के लिए मान्यता प्रमाणपत्र

(च) माँस प्लांटों के पंजीकरण का प्रमाणपत्र

## 6. एपीडा की कृषि निर्यात संवर्धन योजना संबंधी स्कीम

वर्ष 2018-19 के दौरान एपीडा को इसकी कृषि निर्यात संवर्धन योजना संबंधी स्कीम के अंतर्गत 79.65 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है।

### वर्ष 2018-19 के लिए बजट विवरण

**(रुपये करोड़ में)**

| | विवरण | पूरे वर्ष के लिए आवंटित कुल बजट | वर्ष 2018-19 के दौरान व्यय की गई राशि | शेष देय |
|---|---|---|---|---|
| **योजना स्कीम** | | | | |
| 1 | अनुदान सहायता- सब्सिडी | | | |
| (क) | परिवहन सहायता स्कीम (टीएएस) | 74.15* | 74.15* | शून्य |
| (ख) | बाजार विकास | 22.05 | 22.05 | शून्य |
| | कुल (ए) | **46.20** | **46.20** | शून्य |
| 2 | पूंजीगत सम्पत्तियों के सृजन के लिए अनुदान | | | |
| (क) | अवसंरचना विकास | 20.35 | 20.35 | शून्य |
| | कुल (बी) | **20.35** | **20.35** | शून्य |
| 3 | अनुदान सहायता – सामान्य | | | |
| (क) | गुणवत्ता नियंत्रण | 6.68 | 6.68 | शून्य |
| | कुल (सी) | **6.68** | **6.68** | शून्य |
| 4 | पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) | | | |
| | (i) अनुदान सहायता (सामान्य) | - | - | |
| | (ii) सब्सिडी | 4.00 | 4.00 | शून्य |
| | (iii) पूंजीगत सम्पत्तियों का सृजन | 1.05 | 1.05 | शून्य |
| | कुल (डी) | **5.05** | **5.05** | शून्य |
| 5 | अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक* | | | |
| | (i) अनुदान सहायता (सामान्य) | - | - | |
| | (ii) सब्सिडी | - | - | |
| | (iii) पूंजीगत सम्पत्तियों का सृजन | - | - | |
| | कुल (ई) | **-** | | |

| | विवरण | पूरे वर्ष के लिए आवंटित कुल बजट | वर्ष 2018-19 के दौरान व्यय की गई राशि | शेष देय |
|---|---|---|---|---|
| 6 | अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष घटक* | | | |
| | (i) अनुदान सहायता (सामान्य) | 0.50 | 0.50 | शून्य |
| | (ii) सब्सिडी | 0.50 | 0.50 | शून्य |
| | (iii) पूंजीगत सम्पत्तियों का सृजन | 0.365 | 0.365 | शून्य |
| | कुल (एफ) | **1.365** | **1.365** | शून्य |
| | **उपयोग (ए+बी+सी+डी+ई+एफ)** | **129.65** | **129.65** | शून्य |

* 74.15 करोड़ रुपये में से 50 करोड़ रुपये की राशि एपीडा की निधि से स्वीकृत की गई है।

## 7. एपीडा के ई-गवर्नेंस प्रयास

एपीडा ने स्टेकहोल्डरों के लाभार्थ वर्तमान ई-गवर्नेंस प्रणाली को संवर्धित करने और नई ऑनलाइन सुविधाएं शुरू करने के लिए वर्ष के दौरान विभिन्न प्रयास किए हैं। नई प्रणाली के विकास और कार्यान्वयन में किए गए प्रमुख प्रयास निम्नानुसार हैं:

**7.1** मान्यता के नवीकरण सहित जैविक प्रमाणन निकायों के लिए आवेदन करने, प्रक्रियान्वयन और प्रमाणपत्र जारी करने हेतु कागजरहित प्रणाली विकसित की गई।

**7.2** होर्टिनेट ट्रेसेबिलिटी पद्धति में कट्टे फलों तथा पान के पत्तों के लिए किसान पंजीकरण मॉड्यूल विकसित तथा समाविष्ट किया गया था।

**7.3** एपीडा के कार्मिकों के लिए इलैक्ट्रोनिक वार्षिक कार्य निष्पादन रिपोर्ट (ई-एपीएआर) की कागजरहित ऑनलाइन प्रक्रियान्वयन प्रणाली विकसित तथा कार्यान्वित की गई।

**7.4** एक डैशबोर्ड विकसित तथा कार्यान्वित किया गया, जो आरसीएमसी, आरसीएसी, मासिक निर्यात प्रतिफल, वित्तीय सहायता स्कीम, पता लगाने संबंधी सॉफ्टवेयर जैसे TraceNet, Peanut.Net, HortiNet, Meat.Net आदि के संबंध में ऑनलाइन एमआईएस रिपोर्ट उपलब्ध कराता है।

**7.5** ट्रेसेबिलिटी प्रणाली Peanut.Net में प्रसंस्करण इकाई (बैच सृजन मॉड्यूल) शामिल करके इसका आगे और विस्तार किया गया था।

**7.6** एपीडा आवेदनों (Meat.Net, TraceNet, HortiNet & Peanut.Net प्रणाली) का सुरक्षा ऑडिट CERT IN के पैनल में शामिल विक्रेताओं द्वारा सफलतापूर्वक पूरी की गई।

**7.7** दूतावासों द्वारा एपीडा के कृषिविनिमय पोर्टल पर उनके संबंधित देशों की व्यापार संबंधी प्रमुख सूचनाएँ डालने के लिए व्यापार सूचना मॉड्यूल विकसित तथा कार्यान्वित किए गए हैं।

**7.8** एफएएस सॉफ्टवेयर में वर्ष 2017-18 से 2019-20 के लिए मध्यम अवधि व्यय ढांचे के लिए नए वित्तीय सहायता स्कीम दिशानिर्देश कार्यान्वित किए गए।

# 8. बागवानी क्षेत्र (ताजे फल और सब्जियाँ एवं पुष्पकृषि)

## 8.1 बाजार प्रवेश संबंधी मुद्दे

**8.1.1** **ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में अंगूर का बाजार प्रवेश** - ऑस्ट्रेलिया के संगरोध प्राधिकरणों, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के कृषि मंत्रालय और दूतावासों के साथ लगातार प्रयासों के बाद ऑस्ट्रेलिया से विशेषज्ञों द्वारा शीतलन विधि के संबंध में प्रशिक्षण आयोजित करने का प्रस्ताव किया गया था। यह प्रशिक्षण फरवरी, 2019 में एक पैक हाउस में प्रदर्शन के साथ 30 अग्रणी निर्यातकों को दिया गया था। यह अपेक्षा की जा रही है कि प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले एक निर्यातक द्वारा प्रथम प्रायोगिक खेप शीघ्र ही भेजी जाएगी।

**8.1.2** **ऑस्ट्रेलिया में काटे हुए फूलों का बाजार प्रवेश** - ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के संगरोध प्राधिकरणों ने पंजीकृत पैक हाउसों तथा खेतों से काटे हुए फूलों के निर्यात के लिए मानक प्रचालन कार्यप्रणाली पर हस्ताक्षर करने के लिए सहमति दी है।

**8.1.3** **अनार और अनार के छिलकों का बाजार प्रवेश** - एपीडा और बीजिंग में भारतीय दूतावास ने अनार तथा अनार के छिलकों के बाजार प्रवेश के लिए चीन के सीमा-शुल्क के सामान्य प्रशासन के साथ विभिन्न बैठकें की। चार संगरोध अधिकारियों के एक दल ने दिसंबर, 2018 में भारतीय अनार खेतों तथा पैक हाउसों का दौरा किया था। भारत और चीन के बीच अनार के निर्यात के लिए समझौता शीघ्र होने की आशा है।

**8.1.4** **कोरिया और जापान में आमों के लिए पूर्व-स्वीकृति कार्यक्रम** - भारत ने कोरिया और जापान के साथ आमों के निर्यात के लिए एक समझौता ज्ञापन किया है। पादप स्वच्छता प्रमाणपत्र जारी करने के लिए कोरिया और जापान के संगरोध प्राधिकारणों ने स्थल दौरे और कोरिया के लिए गर्म पानी में डुबाने संबंधी सुधार प्रक्रिया (एचडब्ल्यूडीटी) और जापान के लिए वाष्प ऊष्मा सुधार प्रक्रिया (वीएचटी) हेतु पूर्व-स्वीकृति के लिए भी उनके निरीक्षकों को भेजने पर सहमति दी है। वर्ष 2019 के आम के मौसम में इन सुविधाओं के साथ आम के निर्यात में वृद्धि होने की उम्मीद है। वर्तमान बातचीत के अनुसार एपीडा और कृषि मंत्रालय निरीक्षकों की तैनाती के बजाय जापानी प्राधिकरणों को उनके द्वारा वार्षिक ऑडिट हेतु मनाने का प्रयास कर रहे हैं। बातचीत आगे के चरणों में है।

**8.1.5 संयुक्त राज्य अमेरिका को आम के निर्यात के लिए प्रचालनात्मक कार्य योजना** – एपीडा और कृषि मंत्रालय ने संयुक्त राज्य अमेरिका को आम के निर्यात के लिए यूएसडीए-एपीएचआईएस के साथ आपसी सहमति से एक प्रचालनात्मक कार्य योजना (ओडब्ल्यूपी) पर हस्ताक्षर किए हैं। इस प्रचालनात्मक कार्य योजना में मुंबई, नासिक और बंगलुरु में विकिरण सुविधाओं में संगरोध निरीक्षकों की तैनाती शामिल है। संयुक्त राज्य अमेरिका के मामले में भी एपीडा और कृषि मंत्रालय आम के प्रत्येक मौसम में नियुक्ति की उच्च लागत से बचने के लिए निरीक्षकों की तैनाती के बजाय एनपीपीओ भारत द्वारा विकिरण प्रक्रिया की पूर्व-स्वीकृति के लिए बातचीत कर रहे हैं।

**8.1.6 संयुक्त राज्य अमेरिका को अनार के छिलकों के निर्यात के लिए प्रचालनात्मक कार्य योजना** – अनार के छिलकों की खेप में कीट पाए जाने की घटना के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका ने अक्तूबर, 2018 में भारतीय अनार के छिलकों पर प्रतिबंध लगा दिया है। एपीडा और कृषि मंत्रालय ने भारतीय अनार के छिलकों पर प्रतिबंध को हटाने के लिए एक परस्पर सहमत प्रचालनात्मक कार्य योजना लागू किए जाने पर बातचीत की।

**8.1.7 वनस्पति संरक्षण एवं संगरोध विभाग, कृषि मंत्रालय के साथ मिल कर बाजार प्रवेश संबंधी अन्य मुद्दे –**

- संयुक्त राज्य अमेरिका को अंगूर
- चीन को फल एवं सब्जियाँ

एपीडा, कृषि मंत्रालय और वाणिज्य मंत्रालय ने संबंधित दूतावासों के साथ मिल कर विभिन्न फलों तथा सब्जियों के बाजार प्रवेश हेतु लगातार बातचीत करने के लिए एक व्यापक अभियान शुरू किया है।

वाणिज्य सचिव की अध्यक्षता में वाणिज्य मंत्रालय और एपीडा द्वारा जिन देशों में भारतीय बागवानी उत्पादों के लिए संभावनाएँ हैं, विशेष रूप से दक्षिण-पूर्वी एशियाई देशों, अफ्रीका, पूर्वी यूरोप के साथ नियमित वीडियो कॉन्फ्रेंस की गई हैं।

एपीडा ने ताजे बागवानी उत्पादों में हमारे बाजार प्रवेश के अनुरोधों को आगे बढ़ाने के लिए भारतीय दूतावास के साथ रूस, तजाकिस्तान और चीन में संयुक्त व्यापार बैठकों में भी भाग लिया।

## 8.2 1-2 अगस्त, 2018 के दौरान वाणिज्य सचिव की जीएसीसी, चीन के साथ बैठक

वाणिज्य सचिव की अध्यक्षता में विभिन्न मंत्रालयों के अधिकारियों के एक शिष्टमंडल ने चीन और भारत के बीच कृषि, दवाइयों, चीनी, चावल, तिलहन, दुग्ध उत्पाद, ताजे फलों और सब्जियों के व्यापार पर विशिष्ट चर्चा के लिए जीएसीसी के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान रेपसीड, दवाइयों के निर्यात, दुग्ध उत्पादों, चावल एवं ताजे फलों और सब्जियों के बाजार प्रवेश पर विस्तार से चर्चा की गई। चावल एवं चीनी के निर्यातकों ने भारत से निर्यात बढ़ाने के लिए बी2बी बैठकों पर सहमति जताई। चीनी पक्ष ने भी बाजार प्रवेश पर विचार करने के लिए पैक हाउस अवसंरचना की जांच करने के लिए अनार उत्पादन क्षेत्रों में एक तकनीकी टीम के दौरे की पुष्टि की।

## 8.3 अंगूर के लिए रिवर्स क्रेता-विक्रेता बैठक (आरबीएसएम)

चीन में अंगूर की भारतीय थॉमसन और सोनाका तथा ब्लैक किस्मों के संवर्धन के लिए एक रिवर्स क्रेता विक्रेता बैठक 27-29 नवंबर, 2018 के दौरान मुंबई में आयोजित की गई थी।

भारतीय दूतावास, बीजिंग द्वारा चिह्नित चीन के 25 क्रेताओं ने इस कार्यक्रम में भाग लिया और बी2बी बैठकों के लिए भारत की ओर से महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के लगभग 100 निर्यातकों ने भाग लिया।

वर्तमान अंगूर मौसम 2018-19 में 6000 एमटी से अधिक अंगूर का निर्यात किया गया था जो वर्ष 2017-18 में केवल 607 एमटी के निर्यात की तुलना में एक बहुत बड़ा उछाल था। निर्यात में इस वृद्धि ने शंघाई और गुआंगजौ के उपभोक्ता बाजारों में भारतीय अंगूर की गुणवत्ता तथा स्वाद की स्वीकार्यता स्थापित कर दी है।

## 8.4 एनईआर उत्पादों के लिए अंतर्राष्ट्रीय निर्यात सम्मेलन-सह-क्रेता-विक्रेता बैठक (बीएसएम)

अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एनईआर उत्पादों के संवर्धन के लिए गुवाहाटी में 5-6 मार्च, 2019 को एक अंतर्राष्ट्रीय निर्यात सम्मेलन-सह-क्रेता-विक्रेता बैठक आयोजित की गई थी।

संभावित बाजारों अर्थात म्यांमार, नेपाल, हाँग काँग, इंडोनेशिया, मलेशिया, बांग्लादेश, यूएई, लाओस के क्रेता बी2बी बैठकों में पूर्वोत्तर के उद्यमियों, एफपीओ और सीधे किसानों से बागवानी, चावल, चाय उत्पादों के आयात के लिए बातचीत करने हेतु उपस्थित थे।

**भारतीय पक्ष की ओर से भागीदारी की तीन श्रेणियाँ थीं:** (क) एफपीओ/एफपीसी से निर्यातक, (ख) पूर्वोत्तर क्षेत्र के निर्यातकों से अन्य क्षेत्रो के निर्यातक और (ग) सभी निर्यातकों से सभी अंतर्राष्ट्रीय क्रेता।

अंतर्राष्ट्रीय क्रेताओं के लिए उत्पाद की गुणवत्ता परखने हेतु 8 पूर्वोत्तर राज्यों के सभी उत्पाद प्रदर्शित करने के लिए एक प्रदर्शनी भी आयोजित की गई थी।

कार्यक्रम के दौरान क्रेताओं को रि भोई, मेघालय के फील्ड दौरे पर ले जाया गया। यह कार्यक्रम व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से प्रत्यक्ष बिक्री के लिए एफपीओ को शामिल करने में सफल रहा। इस कार्यक्रम के परिणामस्वरूप समूहों के बीच पूर्वोत्तर क्षेत्र के कृषि उत्पादों की प्रत्यक्ष बिक्री हुई।

## 8.5 भारत और तजाकिस्तान के बीच 28-29 जनवरी, 2019 के दौरान संयुक्त आयोग की 10वीं बैठक

तजाकिस्तान पक्ष की ओर से कृषि सचिव की अध्यक्षता वाले अधिकारियों के समूह और भारतीय पक्ष की ओर से श्री विद्युत बेहारी स्वैन, अपर सचिव, सुश्री मनीषा मीणा, संयुक्त निदेशक, वाणिज्य विभाग और श्री यू के वत्स, महाप्रबंधक, एपीडा के बीच संयुक्त आयोग की बैठक (जीसीएम) के दौरान विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई थी। विभिन्न मंत्रालयों के मुद्दों पर बातचीत की गई। एपीडा से संबंधित माँस निर्यात के मुद्दे पर भी चर्चा की गई थी।

## 8.6 अक्तूबर, 2018 और जनवरी एवं मार्च 2019 में फलों एवं सब्जियों के निर्यातकों के साथ संपर्क कार्यक्रम

एपीडा ने फलों एवं सब्जियों के निर्यात में मूलभूत मुद्दों और बाधाओं को समझने के लिए अक्तूबर, 2018 और जनवरी, 2019 में महाराष्ट्र में संपर्क कार्यक्रम आयोजित किया था। इन बैठकों के संबंध में अनुवर्ती कार्यवाही के रूप में बीमा, सँभार तंत्र, परिवहन, कीटनाशकों के अवशेष और स्वीकृति-पूर्व कार्यक्रमों की लागत से संबंधित मामलों पर चर्चा की गई थी और इन्हें उचित स्तर पर उठाया गया था।

## 8.7 बांग्लादेश को किन्नू का निर्यात

वर्तमान मौसम में पंजाब राज्य में किन्नू की बम्पर पैदावार को देखते हुए और निर्यात बढ़ाने तथा किसानों को अच्छा लाभदायक मूल्य दिलवाने के लिए पंजाब एग्रो इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन, पंजाब राज्य सरकार और वाणिज्य मंत्रालय ने एपीडा को बांग्लादेश में भारतीय किन्नू के लिए एक क्रेता-विक्रेता बैठक आयोजित करने का कार्य सौंपा था। एपीडा ने दिसंबर, 2018 के दौरान बांग्लादेश में एक क्रेता-विक्रेता बैठक-सह-बी2बी बैठकें, बांग्लादेश के प्रमुख स्टोरों में स्टोर प्रचार कार्यक्रम आयोजित किए। एपीडा ने डीजीएफटी के माध्यम से किन्नू किसानों को एमईआईएस समर्थन को बढ़ाने के मामले को भी उठाया। मामले पर लगातार कार्रवाई करने पर डीजीएफटी ने किन्नू के लिए एमईआईएस समर्थन बढ़ाने की घोषणा की जिसे 5% से बढ़ा कर 10% कर दिया गया।

## 8.8 वाणिज्य सचिव का लखनऊ दौरा

एपीडा ने क्षेत्र में निर्यातकों तथा राज्य सरकार के समक्ष आ रही समस्याओं के समाधान के लिए वाणिज्य सचिव के लखनऊ दौरे में सहभागिता की। लखनऊ में 11 फरवरी, 2019 को निर्यातकों के साथ आधे दिन की चर्चा की गई जिसके बाद मुद्दों को समझने के लिए राज्य सरकार के पदाधिकारियों के साथ चर्चा की गई। स्टेकहोल्डरों के सुग्राहीकरण के लिए वाणिज्य मंत्रालय, एपीडा और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की वित्तीय सहायता स्कीम अर्थात एमईआईएस, टीआईईएस, एमडीए और अन्य स्कीमों के संबंध में उन्हें समझाया गया।

## 8.9 वाणिज्य सचिव का असम और मेघालय दौरा

एपीडा ने मेघालय और असम राज्य सरकारों के साथ बातचीत के लिए वाणिज्य सचिव के दौरे में सहभागिता की। पूर्वोत्तर क्षेत्र के निर्यातकों के समक्ष आ रही समस्याओं को समझने के लिए गुवाहाटी में एक संवाद सत्र भी आयोजित किया गया। बैठक में हुई चर्चा के दौरान उच्च आंतरिक परिवहन लागत को कम करने के लिए परिवहन सब्सिडी प्रदान करने, एएसएएमबी द्वारा वर्तमान पैक हाउसों की स्थापना तथा उपयोग और जैविक उत्पादों के निर्यात को बढ़ाने जैसे मुद्दों पर निर्यातकों के साथ चर्चा की गई। बैठक के दौरान सूअर के माँस के निर्यात की संभावनाओं पर भी चर्चा की गई। एपीडा ने पूर्वोत्तर क्षेत्र से कृषि उत्पादों के संवर्धन के लिए अपनी योजना के बारे में विस्तार से बताया। एपीडा और वाणिज्य मंत्रालय ने एमईआईएस, टीआईईएस, एमडीए जैसे निर्यातकों को क्षतिपूर्ति करने के लिए विभिन्न प्रोत्साहनों और वाणिज्य मंत्रालय, एपीडा, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की अन्य स्कीमों के बारे में विस्तार से जानकारी दी।

# 9. प्रसंस्कृत एवं अन्य प्रसंस्कृत खाद्य क्षेत्र

## 9.1 मूँगफली प्रसंस्करण इकाइयों की निगरानी

वर्ष 2018-19 के दौरान 18 नई मूँगफली इकाइयां पंजीकृत की गई और 18 इकाइयों के पंजीकरण को नवीनीकृत किया गया। मूँगफली एवं मूँगफली उत्पादों के निर्यात के लिए कुल 25223 निर्यात प्रमाणपत्र (सीओई) जारी किए गए।

## 9.2 Peanut.Net के अंतर्गत बैच प्रसंस्करण शुरू करना

भारत से निर्यात की गई मूँगफली तथा मूँगफली उत्पादों की खेपों का पता लगाने की सुविधा के लिए एपीडा ने पंजीकृत मूँगफली इकाइयों की भूमिका को शामिल करते हुए ट्रेसेबिलिटी प्रणाली का उन्नयन किया। अब एपीडा की पंजीकृत मूँगफली इकाइयां उनके क्रेताओं तथा निर्यातकों को आपूर्ति के बैच के पंजीकरण के लिए प्रणाली में लॉग इन करेंगी। निर्यातक इन इकाइयों से खेप सृजित कर सकेंगे और एफ्लेटोक्सिन की जांच के लिए प्रयोगशालाओं को भेज सकेंगे।

## 9.3 एफएसपीसीए, यूएसए द्वारा निवारक नियंत्रण योग्य व्यक्तियों को प्रशिक्षण

**एफडीए खाद्य सुरक्षा आधुनिकीकरण कार्रवाई (एफएसएमए)** - मानव खाद्य के लिए निवारक नियंत्रण (पीसीएचएफ) का एक प्रशिक्षण कार्यक्रम 23-25 जनवरी, 2019 के दौरान अहमदाबाद में आयोजित किया गया था। यह प्रशिक्षण एफएसएमए के प्राधिकृत प्रशिक्षक मैसर्स सतगुरु मेनेजमेंट कंसल्टेंट्स, हैदराबाद द्वारा आयोजित किया गया था। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में 39 प्रतिभागियों/निर्यातकों ने भाग लिया और यह संयुक्त राज्य अमेरिका को निर्यात करने वाले निर्यातकों के लिए लाभकारी रही।

## 9.4 कनाडा की खाद्य निरीक्षण एजेंसी के शिष्टमंडल का दौरा

एपीडा ने कनाडा को खाद्य उत्पादों का निर्यात करने वाली स्थापनाओं की स्थल स्थापना अनुपालना और उनके द्वारा कनाडा के मानकों की अनुपालना का सत्यापन करने के लिए 30 नवंबर - 4 दिसंबर, 2019 के दौरान कनाडा की खाद्य एजेंसी के शिष्टमंडल का मैसर्स एमटीआर फूड्स, बंगलुरु और मैसर्स आर्यन इंटरनेशनल, ग्रेटर नोएडा का दौरा आयोजित किया था।

## 9.5 वेबिनार - संयुक्त राज्य अमेरिका

संयुक्त राज्य अमेरिका की आवश्यकताओं के संबंध में सुग्राहीकरण के लिए निर्यातकों को यूएसडीए द्वारा आयोजित वेबिनार में भाग लेने के लिए सुग्राही बनाया गया।

## 9.6 मूल्य वर्धित उत्पादों का विकास

चिह्नित मूल्य वर्धित उत्पादों के विकास के संबंध में सीएफटीआरआई/एनआईएफटीईएम और आईआईएफपीटी की ओर से प्रस्तावों के सृजन के लिए प्रक्रिया शुरू की गई थी।

### 9.7 पैकेजिंग मानक विकसित करना

पैकेजिंग मानक विकसित करने के लिए प्रसंस्कृत खाद्य क्षेत्र के संभावनाओं वाले दो उत्पादों (क) आईक्यूएफ फल एवं सब्जियों (ख) गुड़ को चिह्नित किया गया। भारतीय पैकेजिंग संस्थान की ओर से प्रस्ताव तैयार किए गए।

### 9.8 उत्पाद दस्तावेज

घेरकिन, गुड़, आम के गूदे और वाईन के निर्यात के लिए नए उद्यमियों के संदर्भ हेतु इन उत्पादों के उत्पाद दस्तावेज तैयार किए गए।

### 9.9 सऊदी अरब को प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के निर्यात के लिए उत्पाद का पता लगाने संबंधी परियोजना

सऊदी अरब को प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के निर्यात के लिए उत्पाद का पता लगाने संबंधी प्रणाली विकसित करने की प्रक्रिया शुरू की गई।

## 10. पशुधन क्षेत्र

### 10.1 शिष्टमंडलों के दौरे

**10.1.1 फिलीपींस** - राष्ट्रीय मांस निरीक्षण सेवा, कृषि विभाग, फिलीपींस के छः ऑडिटरों के एक शिष्टमंडल ने एपीडा पंजीकृत समन्वित बूचड़खानों सह माँस प्रसंस्करण प्लांटों का ऑडिट करने के लिए 2 दिसंबर - 10 दिसंबर, 2018 के दौरान भारत का दौरा किया।

**10.1.2 सऊदी अरब** - सऊदी खाद्य एवं दवा प्राधिकरण के एक दल ने सऊदी अरब को निर्यात के मूल्यांकन के लिए एपीडा पंजीकृत समन्वित बूचड़खानों सह माँस प्रसंस्करण प्लांटों और चावल, मसालों तथा प्रसंस्कृत फलों एवं सब्जियों की संस्थापनाओं का ऑडिट करने के लिए 2 दिसंबर - 10 दिसंबर, 2018 के दौरान भारत का दौरा किया।

**10.1.3 अल्जीरिया** - पशु चिकित्सा विज्ञान विभाग (डीवीएस), अल्जीरिया के चार सदस्यों के एक शिष्टमंडल ने 29 सितंबर से 9 अक्तूबर, 2018 के दौरान भारत का दौरा किया और माँस के निर्यात के लिए 16 एपीडा पंजीकृत समन्वित बूचड़खानों सह माँस प्रसंस्करण प्लांटों को अनुमोदित किया।

**10.1.4 संयुक्त अरब अमीरात** - जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण मंत्रालय, संयुक्त अरब अमीरात के एक शिष्टमंडल ने कम्पार्टमेंट प्रणाली के आधार पर कुक्कुट उत्पादों से प्रतिबंध हटाने के लिए 8 अप्रैल - 13 अप्रैल, 2019 के दौरान भारत का दौरा किया। एपीडा ने आईसीएआर, डीएएचडी, संबंधित राज्यों विशेष रूप से महाराष्ट्र तथा तमिलनाडु, जहां कम्पार्टमेंट प्रणाली है तथा जैवसुरक्षा मानकों के साथ मुर्गी फार्म स्थापित किए गए हैं, के पशुपालन विभागों के साथ बैठकों की व्यवस्था की।

**10.1.5 ओआईई विशेषज्ञ मिशन का भारत दौरा** - ओआईई विशेषज्ञ मिशन ने भारत के मुंहपका-खुरपका रोग (एफएमडी) नियंत्रण कार्यक्रम का मूल्यांकन करने के लिए 18.06.2018 से 29.06.2018 तक भारत का दौरा किया।

**10.1.6 20-25 मई, 2018 के दौरान पेरिस में आयोजित ओआईई बैठक में एपीडा की सहभागिता** - भारत की ओर से श्री तरुण श्रीधर, सचिव, एडीएफ, डॉ. सुरेश एस होन्नप्पागोल, एएचसी डीएडीएफ, श्री डी के सिंह, अध्यक्ष, एपीडा, श्री उपमान्य बासु, संयुक्त सचिव (एलएच), डीएडीएफ और श्री गोपाल कृष्ण द्विवेदी, प्रधान सचिव, आंध्र प्रदेश सरकार सहित एक शिष्टमंडल ने 20-25 मई, 2018 के दौरान पेरिस में आयोजित की गई विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन (ओआईई) की राष्ट्रीय शिष्टमंडलों की विश्व सभा के 86वें आम सत्र में भाग लिया।

## 10.2 बाजार प्रवेश मुद्दे

**10.2.1 इंडोनेशिया:** देश के कुछ हिस्सों में मुंहपका-खुरपका रोग के फैलने के दौरान भारत द्वारा किए गए नियंत्रण उपायों के संबंध में इंडोनेशिया के प्राधिकारियों की चिंताओं का समाधान करने के लिए डीएएचडी तथा निर्यातकों के साथ समन्वय किया।

**10.2.2 हाँग काँग:** बाजार प्रवेश मांगने के लिए हाँग काँग में पशु जनित उत्पाद के विशिष्ट खाद्य (भेद/बकरी का माँस) के आयात के संबंध में एक प्रश्नावली भेजी गई है।

**10.2.3 मिस्र:** भारत के दूतावास के साथ नियमित रूप से बातचीत की और गोजातीय माँस के व्यापार तथा निर्यात को सुविधाजनक बनाया जो कि लगभग बंद हो चुका था। अब निर्यात निर्बाध रूप से जारी है। एपीडा ने 12 मार्च, 2019 को आयोजित की गई कृषि, वनस्पति संगरोध एवं पशु संगरोध संबंधी भारत-मिस्र की जेडब्ल्यूजी की बैठक में भाग लिया और मिस्र को दुग्ध उत्पादों के निर्यात का मुद्दा उठाया जो एफ्लेटोक्सिन के कारण प्रभावित हो गया था।

**10.2.4 मलेशिया:** एपीडा ने मलेशिया को निर्यात के लिए और अधिक एपीडा पंजीकृत समन्वित बूचड़खानों सह माँस प्रसंस्करण प्लांटों को अनुमति देने के लिए शिष्टमंडल के दौरे हेतु डीवीएस, मलेशिया के साथ बातचीत की।

**10.2.5 रूस:** एपीडा ने अधिक संख्या में पौधों को अनुमोदित करने और ईएईयू और रूस के मानकों के अनुरूप भारत से रूस को भैंस के हड्डीरहित माँस के निर्यात की अनुपालना के लिए रूसी पशु चिकित्सा विशेषज्ञ की नियुक्ति करने का अनुरोध किया और रूस के साथ दुग्ध उत्पादों के बाजार प्रवेश के संबंध में प्रगति की जानकारी ली।

## 10.3 एपीडा ने निम्नलिखित देशों के साथ बाजार प्रवेश मुद्दों को उठाया है:

- जापान (भारतीय अंडा पाउडर पर उच्च आयात शुल्क में कमी)।
- कोरिया, नाइजीरिया, तुर्की, दक्षिण अफ्रीका (गोजातीय माँस और दुग्ध उत्पाद)।
- थाईलैंड (गोजातीय माँस और उच्च आयात शुल्क)
- चीन, जीएसीसी बैठकों में भाग ले कर (गोजातीय माँस, दूध तथा दूध उत्पाद, गैर-बासमती चावल, अंगूर, आम, ओकरा, चीकू, अन्नानास, पपीता, अनार और अनार के छिलकों, केले, मकई, मक्का तथा सोरगम के निर्यात को बढ़ाना)।
- फिलीपींस (सभी उपभोक्ता क्षेत्रों के लिए भैंस का माँस)।

**10.4** एपीडा ने फिलीपींस में मुंहपका-खुरपका रोग की घटनाओं और अमेरिका के कृषि विभाग (यूएसडीए) की कृषि विपणन सेवा (एएमएस) की शब्दावली में भैंस के माँस को भी शामिल करके संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ माँस पर टीबीटी जारी किए जाने के कारण पंजाब में एपीडा पंजीकृत समन्वित बूचड़खानों सह माँस प्रसंस्करण प्लांटों के अस्थायी निलंबन के संबंध में दिनांक 19.12.2018 की एसपीएस अधीसूचना संख्या जी/एसपीएस/एन/पीएचएल/428 के मामले को उठाया है।

## 10.5 निर्यातकों के साथ बैठक

एपीडा ने 10 दिसंबर, 2018, 13 दिसंबर, 2018 और 15 मार्च, 2019 को निर्माता तथा व्यापारी निर्यातकों के साथ बैठकें आयोजित कीं। बैठकों के दौरान विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई जो निर्यात में बाधाओं को हटाने के लिए और निर्यात को आगे बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण हैं।

## 10.6 कारोबार करने में आसानी

**10.6.1** आई-ट्रैक प्रणाली के माध्यम से नए पंजीकरण/पंजीकरण के नवीनीकरण/वैधता अवधि को बढ़ाने/संशोधन के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू की और कार्यान्वित की।

**10.6.2** निर्यात को सुगम बनाने और आयात करने वाले देशों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए माँस प्लांटों का उचित तथा समयबद्ध निरीक्षण सुनिश्चित किया गया।

**10.6.3** एकीकृत माँस प्लांटों, एकल बूचड़खानों और प्रसंस्करण प्लांटों सहित 102 माँस प्लांटों को अनुमोदित किया गया है और एपीडा के साथ पंजीकृत किया गया है।

## 10.7 रोग निगरानी

ओआईई के अनुसार मुंहपका-खुरपका रोग मुक्त जोन घोषित करने के लिए पशुपालन विभाग और ओआईई के साथ कार्यवाही की जानकारी ली और दस्तावेज प्रस्तुत किए।

**10.8** निर्यात के नए उत्पाद विकसित करना - सूअर तथा सूअर के उत्पादों के निर्यात की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए शीघ्रातिशीघ्र सूअर तथा सूअर के उत्पादों का निर्यात शुरू करना सुनिश्चित करने के लिए अवसंरचना, मानदंडों तथा पश्चवर्ती संपर्कों को विकसित करने, उद्यमियों को विकसित करने के लिए कार्य शुरू किया गया है।

# 11. अनाज क्षेत्र

**11.1** जीएसीसी, चीन के दल ने 14 चावल इकाइयों के फील्ड सत्यापन के लिए जुलाई, 2018 में भारत का दौरा किया और बाद में जुलाई, 2018 में 10 चावल संस्थापनाओं को अनुमोदन दिया है। अब तक चीन को बासमती और गैर-बासमती चावल के निर्यात के लिए चीनी प्राधिकारियों द्वारा 24 इकाइयों को अनुमोदित किया गया है।

**11.2** एपीडा ने वर्ष 2018-19 के दौरान किसानों और निर्यातकों को कीटनाशकों के विवेकपूर्ण प्रयोग के संबंध में शिक्षित करने के लिए एआईआरईए, केवीके और राज्य कृषि विभागों के साथ मिल कर बीईडीएफ के माध्यम से 15 फील्ड कार्यशालाओं का आयोजन किया।

**11.3** एपीडा ने गैर-बासमती चावल के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए 29 अक्तूबर, 2018 को बीजिंग, चीन में और 31 अक्तूबर, 2018 को शंघाई, चीन में क्रेता-विक्रेता बैठक का आयोजन किया था।

**11.4** स्वास्थ्य एवं खाद्य सुरक्षा महानिदेशालय, यूरोपीय कमीशन के दो सदस्यों के एक ऑडिट दल ने यूरोपीय यूनियन को बासमती चावल के निर्यात हेतु कीटनाशकों के नियंत्रण के मूल्यांकन के लिए 8-18 अक्तूबर, 2018 के दौरान भारत का दौरा किया था। इस दल के दौरे का प्रमुख उद्देश्य उन मामलों में निर्यातकों तथा सक्षम प्राधिकारियों द्वारा की गई सुधारात्मक कार्रवाई का सत्यापन करना था जहां चेतावनी जारी की गई थी। इस दल ने कुछ प्रयोगशालाओं का दौरा किया जहां यूरोपीय यूनियन को चावल के निर्यात की खेप रवाना करने से पहले कीटनाशकों के अवशेष के लिए जांच की जाती है। इस दल ने जनवरी, 2019 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और एपीडा ने भी व्यापार नोटिस में संशोधन के साथ आवश्यक कार्रवाई की है।

## 12. जैविक क्षेत्र

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा अक्तूबर, 2001 से विदेश व्यापार विकास विनियम (एफटीडीआर) अधिनियम के अंतर्गत निर्यात के लिए राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम (एनपीओपी) कार्यान्वित किया जा रहा है। राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम के उद्देश्य में जैविक उत्पाद विकसित करने तथा प्रमाणन हेतु नीतियाँ, राष्ट्रीय जैविक उत्पाद मानक, प्रमाणन निकायों को मान्यता प्रदान करना तथा राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप जैविक उत्पादों का प्रमाणन और जैविक खेती तथा प्रसंस्करण के विकास को प्रोत्साहित करना शामिल है।

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा वर्ष 2001 में राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम के कार्यान्वयन के बाद भारत में जैविक खेती स्थिर गति से बढ़ी है। आज भारत के जैविक उत्पादों ने वैश्विक बाजार में अपना स्थान बना लिया है और ये नई ऊंचाइयों पर पहुँचने की ओर अग्रसर है।

### 12.1 जैविक प्रमाणन के अंतर्गत क्षेत्र तथा उत्पादन

वर्ष 2018-19 के दौरान जैविक प्रमाणन के अंतर्गत लगभग 3.43 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र था, जिसमें 1.94 मिलियन हेक्टेयर (57%) क्षेत्र खेती के अंतर्गत और 1.49 मिलियन हेक्टेयर (43%) क्षेत्र जंगली फसलों के अंतर्गत था।

### 12.2 निर्यात किए जाने वाले प्रमुख उत्पाद

वर्ष 2018-19 के दौरान कृषि निर्यात की कुल मात्रा 614090 एमटी थी जिससे 5151 करोड़ रुपये (757 मिलियन अमेरिकी डॉलर) प्राप्त हुए। जिन प्रमुख देशों को जैविक उत्पादों का निर्यात किया गया वे थे संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके बाद यूरोपीय यूनियन तथा कनाडा।

जैविक उत्पादों के निर्यात के अन्य गंतव्य स्थान थे स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, मध्य-पूर्व देश और आसियान देश।

### 12.3 एनपीओपी के अंतर्गत नए प्रमाणन निकाय को मान्यता देना

वर्ष 2018-19 के दौरान एनपीओपी के अंतर्गत एक प्रमाणन निकाय, तेलंगाना राज्य जैविक प्रमाणन प्राधिकरण को मान्यता प्रदान की गई है।

## 12.4 मान्यताप्राप्त प्रमाणन निकायों की निगरानी और जांच

अपेक्षित मानकों की अनुपालना के सत्यापन के लिए सभी 29 मान्यताप्राप्त प्रमाणन निकायों का जांच/नवीकरण ऑडिट किया गया (12 नवीकरण ऑडिट और 16 वार्षिक जांच)।

एमआरए के लिए स्थल दौरे के तहत कोरिया के शिष्टमंडल के स्थल ऑडिट के दौरान विभिन्न प्रमाणन निकायों के एक उत्पादक, प्रोसेसर और एक पशु फार्म का अतिरिक्त ऑडिट भी किया गया। एपीडा को अनुपालना सत्यापन निकाय के रूप में नामित करने के लिए कनाडा की खाद्य निरीक्षण एजेंसी के स्थल दौरे के दौरान मूल्यांकन समिति के एक सदस्य द्वारा एक प्रमाणन निकाय के निरीक्षक का साक्षी ऑडिट किया गया।

## 12.5 एनपीओपी के अंतर्गत मान्यता प्रदान करने के कार्यक्षेत्र में विस्तार

एनपीओपी के अंतर्गत मान्यता प्रदान करने के कार्यक्षेत्र को बढ़ा कर पशुधन एवं मधुमक्खी पालन के लिए तीन प्रमाणन निकायों, मत्स्यपालन के लिए दो प्रमाणन निकायों, मशरूम के लिए एक प्रमाणन निकाय, समुद्री शैवाल, जलीय वनस्पति एवं ग्रीनहाउस फसल उत्पादन के लिए 3 प्रमाणन निकायों को शामिल कर लिया गया है।

## 12.6 आपसी मान्यता

**ताइवान** - ताइवान द्वारा भारत के एनपीओपी के सत्यापन के बाद भारतीय पक्ष ने 25 सितंबर से 1 अक्तूबर, 2018 के दौरान ताइवान की जैविक प्रणाली का स्थल सत्यापन किया। एक-दूसरे की जैविक प्रणालियों का आकलन करने के बाद दोनों पक्षों ने अतिरिक्त अनुपालना आवश्यकताओं को पूरा कर लिया है। दोनों पक्ष चालू वर्ष के दौरान पत्रों के आदान-प्रदान के चरण में हैं।

**दक्षिण कोरिया** - कोरियाई पक्ष द्वारा भारत के एनपीओपी के सत्यापन के बाद भारतीय पक्ष ने 4-8 मार्च, 2019 के दौरान कोरिया की जैविक प्रणाली का स्थल आकलन किया। भारतीय पक्ष इस मामले में आगे बढ़ने के लिए अपने निष्कर्ष कोरियाई पक्ष को प्रस्तुत करने की प्रक्रिया में है।

**कनाडा** - सीएफआईए से कनाडा के दल ने कार्यविधियों की सक्षमता तथा कार्यान्वयन स्तर के सत्यापन के लिए 10-14 दिसंबर, 2018 के दौरान एपीडा-भारत का दौरा किया। भारतीय पक्ष कनाडा के दल के निष्कर्षों के अनुपालन के लिए कार्य योजना प्रस्तुत करने की प्रक्रिया में है।

## 12.7 क्षमता निर्माण कार्यक्रम

**12.7.1** एनपीओपी के अंतर्गत विभिन्न सरकारी संगठनों का प्रतिनिधित्व करने वाले मूल्यांकन समिति के नए पैनलीकृत सदस्यों के दो बैचों के लिए एपीडा नई दिल्ली में 21-23 मई, 2018 और 30-31 जनवरी, 2019 के दौरान दो आरंभिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए।

**12.7.2** मूल्यांकन समिति के वर्तमान सदस्यों के लिए एपीडा नई दिल्ली में 29 जनवरी, 2019 को वार्षिक पुनश्चर्या प्रशिक्षण आयोजित किया गया।

**12.7.3** 35 कार्मिकों के लिए 28-29 मई, 2018 को गुवाहाटी में एनपीओपी के संबंध में क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें असम के 8, मिजोरम के 10, त्रिपुरा के 8 और सिक्किम के 9 कार्मिकों ने भाग लिया।

**12.7.4** 42 कार्मिकों के लिए 30-31 मई, 2018 को गुवाहाटी में एनपीओपी के संबंध में क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें मणिपुर के 9, मेघालय के 13, नागालैंड के 8 और अरुणाचल प्रदेश के 12 कार्मिकों ने भाग लिया।

**12.7.5** अगरतला, त्रिपुरा में 23 जुलाई, 2018 को स्टेकहोल्डरों के लिए जैविक उत्पादों हेतु बाजार सुविधा के संबंध में संपर्क कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें 55 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

**12.7.6** एपीडा नई दिल्ली में 18 दिसंबर, 2018 को प्रमाणन निकायों (सीबी) के साथ एनपीओपी के संबंध में वार्ता-सह-प्रतिक्रिया बैठक तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें सभी प्रमाणन निकायों ने भाग लिया।

**12.7.7** भोपाल में 20.12.2018 को निर्यात संवर्धन के संबंध में संपर्क कार्यक्रम आयोजित किया गया था जिसमें 116 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

**12.7.8** इंदौर, मध्य प्रदेश में 21.12.2018 को निर्यात संवर्धन के संबंध में संपर्क कार्यक्रम आयोजित किया गया था जिसमें 121 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

**12.7.9** इंदौर में 22.12.2018 को एनपीओपी तथा प्रमाणन प्रणालियों के संबंध में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया था जिसमें 95 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

## 13. अवसंरचना विकास

उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए एपीडा ने भारत से बागवानी उत्पादों के निर्यात को सुविधाजनक बनाने हेतु विभिन्न उत्पादन क्षेत्रों में साझा अवसंरचना तैयार करने के लिए प्रयास किए हैं।

एपीडा द्वारा वर्ष 2018-19 के दौरान निम्नलिखित अवसंरचना परियोजनाओं को वित्तपोषित किया गया है:

### 13.1 किन्नौर, हिमाचल प्रदेश में सेव के लिए एकीकृत पैक हाउस स्थापित करना

एपीडा ने हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पाद विपणन एवं प्रसंस्करण कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीएमसी) को किन्नौर में सेव के लिए एकीकृत पैक हाउस स्थापित करने के लिए 129.70 लाख रुपये की राशि की सहायता दी है। परियोजना की कुल लागत 184.49 लाख रुपये है। यह क्रियाकलाप पूरा किया जा चुका है और परियोजना प्रचालन में है।

### 13.2 परवाणु, हिमाचल प्रदेश में एचपीएमसी की सेव जूस कोंसंट्रेट इकाई की स्थापना

एपीडा ने हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पाद विपणन एवं प्रसंस्करण कॉर्पोरेशन लिमिटेड को परवाणु में सेव जूस कोंसंट्रेट इकाई की स्थापना के लिए 800.00 लाख रुपये की राशि की सहायता दी। परियोजना की कुल लागत 1240.35 लाख रुपये है। यह क्रियाकलाप पूरा किया जा चुका है और परियोजना प्रचालन में है।

## 13.3 कुडाची, बेलगाम जिला, कर्नाटक में बागवानी उत्पाद के लिए फसल कटाई के बाद की साझा अवसंरचना सुविधाओं की स्थापना

एपीडा ने कुडाची, कर्नाटक में बागवानी उत्पाद के लिए फसल कटाई के बाद की साझा अवसंरचना सुविधाओं की स्थापना के लिए रायबाग तालुका अंगूर उत्पादक प्रोसेसर एवं निर्यातक सहकारी समिति-दक्षिण क्षेत्र के माध्यम से बागवानी विभाग, कर्नाटक सरकार, बैंगलोर को 774.00 लाख रुपये की राशि की सहायता दी। परियोजना की कुल लागत 860.00 लाख रुपये है। यह क्रियाकलाप पूरा किया जा चुका है और परियोजना प्रचालन में है।

## 13.4 नवी मुंबई में निर्यात के लिए ताजे फलों एवं सब्जियों के लिए कोल्ड चेन अवसंरचना के रूप में साझा सुविधा की स्थापना

एपीडा ने पश्चिमी क्षेत्र से ताजे फलों तथा सब्जियों के निर्यात को सुविधाजनक बनाने के लिए मुंबई कृषि उत्पाद बाजार समिति को 800.00 लाख रुपये की राशि की सहायता दी। परियोजना की कुल लागत 2475.00 लाख रुपये है। यह क्रियाकलाप पूरा किया जा चुका है और परियोजना प्रचालन में है।

## 13.5 मंगलोर, हरिद्वार, उत्तराखंड में आईक्यूएफ सुविधा के साथ जमे हुए फलों के निर्यात के लिए साझा प्रसंस्करण इकाई की स्थापना

एपीडा ने मंगलोर, उत्तराखंड में आईक्यूएफ सुविधा के साथ जमे हुए फलों के निर्यात के लिए साझा प्रसंस्करण इकाई की स्थापना के लिए कृषि उत्पादन मंडी परिषद (केयूएमपी) को 800.00 लाख रुपये की राशि की सहायता दी। परियोजना की कुल लागत 938.67 लाख रुपये है। यह क्रियाकलाप पूरा किया जा चुका है और परियोजना प्रचालन में है। आईक्यूएफ हरी मटर का व्यावसायिक उत्पादन अगले मौसम में शुरू होगा।

## 13.6 वायनाड़, केरल में एकीकृत पैक हाउस की स्थापना

एपीडा ने वायनाड़, केरल में एकीकृत पैक हाउस की स्थापना के लिए सब्जी एवं फल संवर्धन परिषद केरल (वीएफपीसीके) को 215.46 लाख रुपये की राशि की सहायता दी। यह क्रियाकलाप पूरा किया जा चुका है और परियोजना प्रचालन में है। निर्यातक केरल राज्य से फलों एवं सब्जियों के निर्यात के लिए नियमित रूप से इस सुविधा का प्रयोग कर रहे हैं।

## 13.7 बिदर, कर्नाटक में पैक हाउस के साथ साझा कोल्ड चेन अवसंरचना सुविधाकी स्थापना

एपीडा ने अंगूर, अनार तथा अन्य ताजे फलों एवं सब्जियों के निर्यात के लिए बागवानी उत्पादों को सुलभ बनाने हेतु कर्नाटक राज्य कृषि उत्पाद प्रसंस्करण निर्यात कॉर्पोरेशन लिमिटेड (केएपीपीईसी) को 653.00 लाख रुपये की राशि की सहायता दी। बिदर को कर्नाटक राज्य में अनार और अंगूर उगाने वाला एक प्रमुख क्षेत्र माना जाता है। परियोजना की कुल लागत 804.00 लाख रुपये है। यह क्रियाकलाप पूरा कर लिया गया है और परियोजना प्रचालन में है।

# 14. गुणवत्ता विकास

## 14.1 प्रयोगशालाओं और एचएसीसीपी की कार्यान्वयन तथा प्रमाणन एजेंसियों को मान्यता प्रदान करना

**14.1.1** निर्यात के लिए एपीडा के अनुसूचित उत्पादों के नमूना चयन तथा विश्लेषण के लिए 49 प्रयोगशालाओं को मान्यता प्रदान की गई। इस अवधि के दौरान एनआरसी ग्रेप्स पुणे स्थित राष्ट्रीय परामर्श प्रयोगशाला को उच्च परिशुद्धता वाले विश्लेषण उपकरणों के साथ उन्नत बनाया गया।

**14.1.2** इस अवधि के दौरान एचएसीसीपी के प्रमाणन तथा कार्यान्वयन के लिए 6 प्रमाणन एजेंसियों तथा 5 कार्यान्वयन एजेंसियों को मान्यता प्रदान की गई।

## 14.2 निर्यात के लिए कार्यविधियाँ विकसित करना

कुछ संभावना वाले उत्पादों की आपूर्ति चेन तथा निर्यात को संगठित बनाने के लिए निम्नलिखित कार्यविधियाँ विकसित की गईं:

**14.2.1** निर्यात मौसम 2018-19 के लिए खाद्य सुरक्षा अनुपालनाओं को सुनिश्चित करने हेतु कृषि रसायनों के अवशेष को नियंत्रित करके यूरोपीय यूनियन को ताजे टेबल अंगूर के निर्यात के लिए कार्यविधियाँ।

**14.2.2** निर्यात मौसम 2018-19 के लिए खाद्य सुरक्षा अनुपालनाओं को सुनिश्चित करने हेतु कृषि रसायनों के अवशेष को नियंत्रित करके अनार के निर्यात के लिए कार्यविधियाँ।

**14.2.3** आयात किए जाने वाले देशों की खाद्य सुरक्षा अनुपालनाओं को सुनिश्चित करने हेतु भारत से मूँगफली तथा मूँगफली उत्पादों के निर्यात के लिए कार्यविधियाँ।

**14.2.4** ईयू को ओकरा के निर्यात के लिए कार्यविधियाँ।

**14.2.5** भारत से सब्जियों के निर्यात के लिए कार्यविधियाँ।

**14.2.6** ईयू को पान के पत्तों के निर्यात के लिए कार्यविधियाँ।

**14.3** मूँगफली प्रसंस्करण इकाइयों को मान्यता प्रदान करने की कार्यविधियाँ विकसित करना:

मूँगफली की आपूर्ति चेन तथा निर्यात को संगठित करने के लिए निम्नलिखित कार्यविधियाँ विकसित की गईं:

**14.3.1** मूँगफली के निर्यात के लिए मूँगफली प्रसंस्करण इकाइयों को मान्यता प्रदान करने का प्रमाणपत्र जारी करने की कार्यविधि।

**14.3.2** मूँगफली के निर्यात के लिए मूँगफली छीलने तथा/अथवा ग्रेडिंग इकाइयों को मान्यता प्रदान करने का प्रमाणपत्र जारी करने की कार्यविधि।

**14.3.3** मूँगफली के निर्यात के लिए गोदामों/भंडारगृहों को मान्यता प्रदान करने का प्रमाणपत्र जारी करने की कार्यविधि।

## 14.4 मानकीकरण और सामंजस्य

एपीडा ने भारत के हितों की रक्षा करते हुए ईरान के नेतृत्व में प्याज के लिए कोडेक्स मानक विकसित करने के लिए इलैक्ट्रोनिक कार्य समूह में भाग लिया।

**14.5** एपीडा ने एपीडा की आवश्यकताओं को समाविष्ट करते हुए एनएबीएल, ईआईसी और अन्य कमोडिटी बोर्डों के साथ प्रयोगशालाओं के संयुक्त प्रत्यायन के लिए कार्यविधि तैयार की। राष्ट्रीय परीक्षण और अंशशोधन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड (एनएबीएल) ने ईआईसी, एपीडा और अन्य कमोडिटी बोर्डों के साथ मिल कर निर्यातकों के लाभार्थ प्रयोगशालाओं का संयुक्त आकलन शुरू किया।

### 14.6 एपीडा ने स्थायी व्यापार एवं मानक संबंधी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन (आईसीएसटीएस) में भाग लिया

एपीडा ने भारतीय गुणवत्ता परिषद द्वारा स्थायित्व मानकों संबंधी संयुक्त राष्ट्र की फोरम (यूएनएफएसएस) के साथ संयुक्त रूप से 17-18 सितंबर, 2018 को नई दिल्ली में आयोजित स्थायी व्यापार एवं मानकों संबंधी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लिया और 'स्थायी व्यापार के लिए बहु-स्टेकहोल्डर ढांचे को सुदृढ़ बनाने हेतु कृषि-खाद्य मूल्य में बहु-स्टेकहोल्डरक्षेत्रीय प्रयासों को मजबूत बनाने और जिम्मेदार सोर्सिंग निर्णयों' पर पैनल चर्चा में सहभागिता की।

### 14.7 यूरोपीय कमीशन महानिदेशक स्वास्थ्य एवं खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं खाद्य ऑडिट एवं विश्लेषण निदेशालय के शिष्टमंडल का दौरा

यूरोपीय कमीशन महानिदेशक स्वास्थ्य एवं खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं खाद्य ऑडिट एवं विश्लेषण निदेशालय के ईयू ऑडिट दल ने यूरोपीय यूनियन को निर्यात किए जाने वाले चावल में कीटनाशकों के नियंत्रण का मूल्यांकन करने के लिए 8-18 अक्तूबर, 2018 के दौरान भारत का दौरा किया। एपीडा ने चावल की इकाइयों, प्रयोगशालाओं, सीआईबीआरसी और एफएसएसएआई के उनके दौरे की व्यवस्था की।

### 14.8 रेपिड अलर्ट, नामंजूरी एवं शिकायतें

नियमित रूप से उत्पाद डिवीजनों के साथ बैठकें करके रेपिड अलर्ट, नामंजूरी तथा शिकायतों की निगरानी की और उचित कार्रवाई की और वाणिज्य विभाग के ऑनलाइन पोर्टल में स्थिति को अद्यतन किया।

## 15. अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय आयोजनों में भागीदारी

### 15.1 अंतर्राष्ट्रीय आयोजन

#### 15.1.1 बिग सेवन एंड सैटेक्स, जोहानसबर्ग, 24-26 जून, 2018

एपीडा ने 63 वर्ग मीटर का क्षेत्र ले कर जोहानसबर्ग, दक्षिण अफ्रीका मे आयोजित बिग सेवन एंड सैटेक्स, 2018 में भाग लिया। श्री आर. रवीन्द्र, उप महाप्रबंधक और श्री धर्म राव,फील्ड अधिकारी, एपीडा ने इस कार्यक्रम में भागीदारी का प्रबंधन किया। 6 निर्यातकों ने इसमें भाग लिया और खाने के लिए तैयार खाद्य उत्पादों, पकाने के लिए तैयार उत्पादों, चावल, पापड़, चटनी, निर्जलित वस्तुओं, बिस्किट, कुकीज, चॉकलेट आदि सहित अपने उत्पाद भारत के पैवेलियन में प्रदर्शित किए।

#### 15.1.2 समर फैन्सी फूड शो, न्यू यॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका, 30 जून - 2 जुलाई, 2018

एपीडा ने 900 वर्ग फुट का क्षेत्र ले कर न्यू यॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में 30 जून - 2 जुलाई, 2018 के दौरान आयोजित समर फैन्सी फूड शो में भाग लिया। डॉ. तरुण बजाज, महाप्रबंधक और श्रीमती रेखा मेहता, सहायक महाप्रबंधक, एपीडा ने प्रदर्शनी में भागीदारी का प्रबंधन किया। 10 निर्यातकों ने इसमें भाग लिया और

भारतीय पैवेलियन में अपने उत्पाद प्रदर्शित किए जैसे भारतीय ट्रीट चावल, कन्फेक्शनरी वस्तुएँ, खाने के लिए तैयार प्रसंस्कृत खाद्य वस्तुएँ, सरसों का तेल, रिफाइंड तेल, साबुत गेहूं का आटा, आचार, मुरब्बे, स्नैक्स, माउथ फ्रेशनर, जैविक दालें, जैविक मसाले, जैविक चाय, जैविक स्वीटनर, जैविक घी, जैविक सूखे मेवे, जैविक आटे, जैविक अनाज, जमे हुए खाद्य उत्पाद, जैम, जैली, वर्मिसिल आदि।

### 15.1.3 सियाल 2018, पेरिस, फ्रांस, 21-25 अक्तूबर, 2018

एपीडा ने 522 वर्ग मीटर का क्षेत्र ले कर पेरिस, फ्रांस में 21-25 अक्तूबर, 2018 के दौरान आयोजित सियाल 2018 में भाग लिया। श्री सुनील कुमार, निदेशक और श्री मान प्रकाश विजय,सहायक महाप्रबंधक, एपीडा ने प्रदर्शनी में भागीदारी का प्रबंधन किया। 39 निर्यातकों ने इसमें भाग लिया और भारतीय पैवेलियन में अपने उत्पाद प्रदर्शित किए जैसे बासमती चावल, गेहूं का आटा, सेमोलिन, भारतीय ट्रीट जमे हुए खाद्य उत्पाद, गैर-बासमती चावल, बाजरा, पापड़, खाने के लिए तैयार स्नैक्स, गरम करके खाने वाले जमे हुए उत्पाद, परिरक्षित हरी मटर, गाजर, स्वीट कॉर्न, आम, पपीता, ओकरा, अनार, अन्नानास,चुकंदर, जैविक अमरनाथ बीज, आलसी के बीज, तिल के बीज, निगेला सतीवा, ताजे लहसुन, किशमिश (सुखाए हुए अंगूर), नारियल उत्पाद, निर्जलित प्याज और लहसुन उत्पाद, मूँगफली, काबुली चना, जैविक आटे, मसाले, दालें तथा बाजरा, फलों का डिब्बाबंद गुदा, डिब्बाबंद सब्जियाँ, आचार, चटनी, पास्ता, जैम, सिरप, प्राकृतिक गुड़, टमाटर के उत्पाद, सिरके में घेरकिन, जार में परिरक्षित जैलेपिनो, हड्डीरहित भैंस का मांस/ ठंडे / जमे हुए भैंस के आंतरिक अंग।

प्रदर्शनी के दौरान शाकाहारी तथा मांसाहारी बिरयानी के गीले नमूनों का भी प्रदर्शन किया गया।

### 15.1.4 8वीं कृषि बांग्लादेश प्रदर्शनी, ढाका, बांग्लादेश, 25-27 अक्तूबर, 2018

एपीडा ने 100 वर्ग मीटर का क्षेत्र ले कर ढाका, बांग्लादेश में 25-27 अक्तूबर, 2018 के दौरान आयोजित 8वीं कृषि बांग्लादेश प्रदर्शनी में भाग लिया। श्री आर के मंडल,उपमहाप्रबंधक और श्रीमती समिधा गुप्ता,सहायक महाप्रबंधक, एपीडा ने प्रदर्शनी में भागीदारी का प्रबंधन किया। 10 निर्यातकों ने इसमें भाग लिया और भारतीय पैवेलियन में अपने उत्पादों का प्रदर्शन किया जैसे चावल, प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद, ताजे फल एवं सब्जियाँ, बिस्किट, खाने के लिए तैयार उत्पाद, निर्जलित प्याज और सब्जियाँ। प्रदर्शनी के दौरान शाकाहारी तथा मांसाहारी बिरयानी और भारतीय वाइन के गीले नमूनों का भी प्रदर्शन किया गया।

### 15.1.5 चीन अंतर्राष्ट्रीय आयात प्रदर्शनी, शंघाई, चीन, 5-10 नवंबर, 2018

एपीडा ने शंघाई, चीन में 5-10 नवंबर, 2018 के दौरान आयोजित चीन अंतर्राष्ट्रीय आयात प्रदर्शनी में भाग लिया। श्री एस एस नैय्यर, महाप्रबंधक और श्री बिद्युत बरुआ,सहायक महाप्रबंधक, एपीडा ने प्रदर्शनी में भागीदारी का प्रबंधन किया। प्रदर्शनी के दौरान शाकाहारी तथा मांसाहारी बिरयानी और भारतीय वाइन के गीले नमूनों का भी प्रदर्शन किया गया।

### 15.1.6 फ्रूट लोजिस्टिका, 6-8 फरवरी, 2019, बर्लिन, जर्मनी

एपीडा ने 209 वर्ग मीटर का क्षेत्र ले कर बर्लिन, जर्मनी में 6-8 फरवरी, 2019 के दौरान आयोजित फ्रूट लोजिस्टिका 2018 में भाग लिया। श्रीमती विनीता सुधांशु,उपमहाप्रबंधक और श्री विष्णु सारस्वत, एफओ, एपीडा ने प्रदर्शनी में भागीदारी का प्रबंधन किया। 14 निर्यातकों ने इसमें भाग लिया और ताजे बागवानी उत्पादों जैसे ताजे अंगूर, अनार, अनार के छिलकों, केलों, प्याज, आम और ताजे नारियल का भारतीय पैवेलियन में प्रदर्शन किया।

### 15.1.7 बायोफैक न्यूरेमबर्ग, जर्मनी, 13-16 फरवरी, 2019

एपीडा ने 600 वर्ग मीटर का क्षेत्र ले कर न्यूरेमबर्ग, जर्मनी में 13-16 फरवरी, 2019 के दौरान आयोजित बायोफैक 2019 में भाग लिया। श्रीमती रीबा अब्राहम,सहायक महाप्रबंधक और श्रीमती रजनी अरोड़ा,सहायक महाप्रबंधक, एपीडा ने प्रदर्शनी में भागीदारी का प्रबंधन किया। 4 कमोडिटी बोर्डों अर्थात चाय बोर्ड, मसाला बोर्ड, नारियल विकास बोर्ड और नेफेड सहित कुल 40 निर्यातक-सह-प्रदर्शकों ने एपीडा-भारतीय पैवेलियन के अंतर्गत इसमें भाग लिया और अपने जैविक उत्पादों का प्रदर्शन किया। आयोजन के दौरान भारत की ब्रांडिंग के अतिरिक्त विभिन्न अन्य प्रचार क्रियाकलाप जैसे जैविक चावल से बनी शाकाहारी तथा मांसाहारी बिरयानी के गीले नमूनों का प्रदर्शन, भारतीय व्यंजनों का प्रदर्शन और नमूना चयन, जैविक मेहंदी लगाना, योग क्रियाकलाप आदि इस आयोजन के प्रमुख आकर्षण थे।

### 15.1.8 गुलफूड 2019, दुबई, संयुक्त अरब अमीरात, 17-21 फरवरी, 2019

एपीडा ने 768 वर्ग मीटर का क्षेत्र ले कर दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में 17-21 फरवरी, 2019 के दौरान आयोजित गुलफूड में भाग लिया। श्री उमेश कुमार,सहायक महाप्रबंधक और सुश्री सुनीता राय,सहायक महाप्रबंधक, एपीडा ने प्रदर्शनी में भागीदारी का प्रबंधन किया। 63 निर्यातकों ने इसमें भाग लिया और भारतीय पैवेलियन में अपने उत्पादों का प्रदर्शन किया। भारतीय बासमती चावल को बढ़ावा देने के लिए भारतीय फल पेय (रसना) और विश्व की सबसे तीखी (भूत जलूकी) सॉस, जिसे बहुत से लोगों द्वारा पसंद किया गया, के साथ बिरयानी का नमूना चयन भी किया गया।

इसके साथ-साथ अलग-अलग निर्यातकों द्वारा उनके अपने स्टॉल में स्नैक खाद्य, खाने के लिए तैयार उत्पादों, दुग्ध उत्पादों, कन्फेक्शनरी, माउथ फ्रेशनर और इंसटेंट फल पेय आदि के लिए भी नमूना चयन किया गया।

### 15.1.9 नमस्कार कीनिया, 11-12 मार्च, 2019 और तंजानिया 14-15 मार्च, 2019

एपीडा ने 90 वर्ग मीटर का क्षेत्र ले कर 11-12 मार्च, 2019 के दौरान कीनिया में और 14-15 मार्च, 2019 के दौरान तंजानिया में आयोजित नमस्कार इंडिया कार्यक्रम में भाग लिया। श्री सुधांशु, उपमहाप्रबंधक और श्री मान प्रकाश, सहायक महाप्रबंधक, एपीडा ने प्रदर्शनी में भागीदारी का प्रबंधन किया। विभिन्न निर्यातकों ने इसमें भाग लिया और आयोजन के दौरान प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों, कुक्कुट उत्पादों, मूँगफली के मक्खन और खाने के लिए तैयार खाद्य उत्पादों का प्रदर्शन किया।

## 15.2 संवर्धन कार्यक्रम

### 15.2.1 आम संवर्धन कार्यक्रम, कजाकिस्तान, 1-4 जून, 2018

एपीडा ने भारतीय दूतावास, कजाकिस्तान के साथ मिल कर अलमाटी और अस्ताना, कजाकिस्तान में 1-4 जून, 2018 के दौरान एक आम संवर्धन कार्यक्रम आयोजित किया। भारतीय दूतावास ने आम के लिए स्टोर संवर्धन कार्यक्रम आयोजित करने के लिए तीन स्टोरों अर्थात गलमार्ट, रामस्टोर और मैगनम को चिह्नित किया। 9 निर्यातकों ने इसमें भाग लिया और भारत की आम की विभिन्न किस्मों का संवर्धन किया। शिष्टमंडल का नेतृत्व डॉ. सुधांशु, उप-महाप्रबंधक, एपीडा द्वारा किया गया।

### 15.2.2 किन्नू शिष्टमंडल - बांग्लादेश, 28-29 नवंबर, 2018, प्रथम दिन (28.11.2018)

पंजाब राज्य के किन्नू उत्पादकों के एक शिष्टमंडल और डॉ. सी बी सिंह, सहायक महाप्रबंधक, एपीडा ने बांग्लादेश का दौरा किया और वर्तमान व्यापार पद्धतियों तथा इसकी समस्याओं पर चर्चा करने के लिए चौंबर ऑफ कॉमर्स, ढाका के साथ बैठकें की।

शिष्टमंडल द्वारा नष्ट हो जाने वाली वस्तुओं पर 90% से अधिक के आयात शुल्क के मुद्दे को उठाया गया और व्यापार पर इसके प्रभाव पर भी विस्तार से चर्चा की गई। चौंबर ऑफ कॉमर्स के उपाध्यक्ष ने शिष्टमंडल को आश्वासन दिया कि भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते और आयात शुल्क तथा करों में कटौती के संबंध में चुनाव के बाद नई सरकार के साथ इस मुद्दे को उठाएंगे चूंकि यह भारत के साथ एक बड़ी चुनौती है। बांग्लादेश में दिसंबर के अंत में चुनाव होंगे।

इस शिष्टमंडल ने कृषि आधारित तथा कृषि खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्रों में विशेषज्ञता प्राप्त व्यवसाय-से-व्यवसाय व्यापार कार्यक्रम से संबंधित कार्यों में बांग्लादेश के एक राष्ट्रीय संघ बांग्लादेश कृषि-प्रोसेसर संघ (बीएपीए) के साथ भी बैठकें कीं। अध्यक्ष, बीएपीए ने जानकारी दी कि वे पंजाब एग्रो/पंजाब सरकार के साथ उनके प्रसंस्करण उत्पादों के लिए और पंजाब प्रसंस्करण कंपनियों द्वारा बांग्लादेश में प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित करके निवेश को आकर्षित करने के लिए समझौता ज्ञापन करने के इच्छुक हैं और वे अधिकतम लाभ/सुविधाएं देने के लिए तैयार हैं। उन्होंने बताया कि बांग्लादेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों तथा पेय पदार्थ उद्योगों के लिए भी एक बड़ी संभावनाओं वाला बाजार है। उन्होंने सुझाव दिया कि बांग्लादेश में किन्नू प्रसंस्करण प्लांट स्थापित किया जा सकता है और कंपनी यहाँ से आगे विभिन्न देशों को निर्यात भी कर सकती है और बांग्लादेश के स्थानीय बाजारों की मांग को भी पूरा कर सकती है। उन्होंने सुझाव दिया कि कच्चा माल भारत में तैयार किया जा सकता है और बोटलिंग प्लांट बांग्लादेश में स्थापित किए जा सकते हैं और यहाँ से अन्य देशों को निर्यात किया जा सकता है। वे फसल कटाई पश्चात प्रबंधन तथा प्रसंस्करण क्षेत्र आदि में नई प्रौद्योगिकी को अपनाने के लिए भी तैयार हैं। बीएपीए ने आलू बीज प्रौद्योगिकी विकसित करने में भी रुचि दर्शाई थी। बीएपीए भी दोनों पड़ोसी देशों के बीच व्यापार को सुदृढ़ बनाने के लिए भारत के साथ मुक्त व्यापार और आयात शुल्क में कमी चाहता है।

## 15.3 राष्ट्रीय आयोजन

वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान एपीडा ने कृषि उत्पादों के निर्यात संवर्धन के लिए पूरे देश में निम्नलिखित कार्यक्रमों में भाग लिया/ आयोजन किया/ समर्थन किया और इनमें सफल भागीदारी के लिए अधिकारियों को नियुक्त किया:

### 15.3.1 उत्तर एवं मध्य क्षेत्र

#### 15.3.1.1 प्रगति मैदान, नई दिल्ली में बायोफैक इंडिया 2018, 25-27 अक्तूबर, 2018

एपीडा ने भारतीय उत्पादकों तथा निर्यातकों के विश्व व्यापार के साथ प्रत्यक्ष बाजार संपर्कों के लिए नई दिल्ली में आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले बायोफैक इंडिया का सह-आयोजन किया। इस कार्यक्रम में भारत की ओर से पूरे व्यापार एवं उद्योग जगत के साथ-साथ 21 देशों के 98 विदेशी प्रतिनिधियों ने भाग लिया। एपीडा द्वारा 18 देशों के 54 क्रेताओं की मेजबानी की गई। 95 भारतीय उत्पादकों/कंपनियों ने क्रेता-विक्रेता बैठकों में भाग लिया और विदेशी क्रेताओं के साथ-साथ 24 भारतीय कंपनियों ने क्रेताओं के रूप में भाग लिया। 117 क्रेता-विक्रेता बैठकों के माध्यम से लगभग 46 करोड़ रुपये के व्यापार के संबंध में सहमति हुई।

**15.3.1.2 इंडस फूड फेयर, 14-15 जनवरी, 2019, ग्रेटर नोएडा**

एपीडा ने ग्रेटर नोएडा में 14-15 जनवरी, 2019 को आयोजित इंडस फूड फेयर में भाग लिया, जिसमें पूर्वोत्तर के निर्यातकों के लिए स्टॉल निःशुल्क उपलब्ध कराई गई। विभिन्न उत्पादों जैसे जैविक लाल चावल, काला चावल, सुगंधित चावल (जोहा), चिपचिपा चावल, दालें, कीवी वाइन, चिली सॉस, चाय का प्रदर्शन किया गया और इनके लिए अच्छी प्रतिक्रिया प्राप्त हुई।

**15.3.1.3 आहार 2019, 12-16 मार्च, 2019, प्रगति मैदान, दिल्ली**

12-16 मार्च, 2019 के दौरान प्रगति मैदान, नई दिल्ली में आयोजित आहार भारत में आईटीपीओ द्वारा आयोजित किया जाने वाला एक महत्वपूर्ण आहार मेला है और एपीडा इस आयोजन का सह-आयोजक है।

एपीडा ने लगभग 1262 वर्ग मीटर का क्षेत्र लिया और प्रदर्शनी के दौरान प्रसंस्कृत खाद्य, अनाज, ताजे फलों एवं सब्जियों, जैविक क्षेत्र से 50 से अधिक निर्यातकों ने एपीडा के बैनर तले इसमें भाग लिया।

एपीडा के पैवेलियन को आईटीपीओ द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन एवं डिजाइन के लिए 'गोल्ड पुरस्कार' प्रदान किया गया है।

**15.3.2 पूर्वी एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र**

**15.3.2.1** एमओएफपीआई और आईसीसी द्वारा कोलकाता में 27.04.2018 को आयोजित खाद्य प्रसंस्करण सम्मेलन।

**15.3.2.2** एमओएफपीआई द्वारा आईसीसी के साथ मिल कर रांची, झारखंड में 22 मई, 2018को आयोजित खाद्य प्रसंस्करण सम्मेलन।

**15.3.2.3** बंगाल आम उत्सव 2018, जिसका आयोजन डीएफपीआईएंडएच, पश्चिम बंगाल सरकार और आईसीसी द्वारा न्यू टाउन मेला ग्राउंड, न्यू टाउन, कोलकाता में 8-10 जून, 2018 के दौरान किया गया। एपीडा ने इस कार्यक्रम में 9 वर्ग मीटर की स्टॉल ले कर भाग लिया। आयोजक द्वारा एक आरबीएसएम का भी आयोजन किया गया जिसमें बड़ी संख्या में विदेशी क्रेताओं और आम उत्पादकों, निर्यातकों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन माननीय एमआईसी, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग एवं बागवानी विभाग, पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा किया गया।

**15.3.2.4** एग्री विकास ओडिशा 2018 सम्मेलन, जिसका आयोजन 29-30 जून, 2018 के दौरान शिक्षा 'ओ' अनुसंधान विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर में किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन शिक्षा 'ओ' अनुसंधान विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर द्वारा किया गया था जिसमें भारत सरकार के तीन मंत्रालयों ने सहयोग किया था। एपीडा ने दो दिन के कार्यक्रम में 9 वर्ग मीटर का स्टॉल ले कर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी।

**15.3.2.5** "किसानों की आय दुगुनी करने के लिए व्यवसाय ऊष्मायन एवं मूल्य श्रृंखला एकीकरण" पर आईसीएआर द्वारा प्रायोजित कार्यशाला, जिसका आयोजन बिहार कृषि विश्वविद्यालय परिसर, सबौर, भागलपुर, बिहार में 01.09.2018 को किया गया था। बीएयू के उपकुलपति ने एपीडा के सहयोग की प्रशंसा की और बिहार राज्य में कृषि निर्यात विकास संबंधी और अधिक क्रियाकलाप करने का सुझाव दिया।

**15.3.2.6** कृषि-व्यवसाय में व्यापार के उभरते हुए अवसर: वित्त एवं बाजार संपर्क पर ध्यान केन्द्रित करना', जिसका आयोजन कोलकाता में भारतीय उद्योग महासंघ द्वारा लघु किसान कृषि-व्यवसाय संघ के साथ 3 अक्तूबर, 2018 को किया गया।

**15.3.2.7** "एयर कार्गो विकास – शुरुआती छोर से अंतिम छोर तक सँभार तंत्र मूल्य श्रृंखला" पर एक दिवसीय कार्यशाला, जिसका आयोजन भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा भुवनेश्वर में 05.10.2018 को किया गया।

**15.3.2.8** 'दो दिवसीय राष्ट्रीय टीओपी एक्स्पो एवं सम्मेलन 2018', जिसका आयोजन कृषि विभाग, ओडिशा सरकार द्वारा भुवनेश्वर, ओडिशा में 20–21 दिसंबर, 2018 के दौरान किया गया।

**15.3.2.9** 'कृषि ओडिशा 2019', जिसका आयोजन कृषि विभाग, ओडिशा सरकार द्वारा भुवनेश्वर में 15.01.2019 को किया गया।

**15.3.2.10** 12वां क्षेत्रीय मानक सम्मेलन, जिसका आयोजन मई उत्सव सम्मेलन, भुवनेश्वर में 01.02.2019 को किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन डीओसी, भारत सरकार के पर्यवेक्षण में सीआईआई द्वारा किया गया था। वाणिज्य विभाग का प्रतिनिधित्व श्री संतोष कुमार सारंगी, संयुक्त सचिव द्वारा किया गया।

**15.3.2.11** 4था सीआईआई खाद्य प्रसंस्करण सम्मेलन 2019 – उभरते अवसर, जिसका आयोजन 16 फरवरी, 2019 को कोलकाता में किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन भारतीय उद्योग महासंघ (सीआईआई), पूर्वी क्षेत्र द्वारा एमओएफपीआई, भारत सरकार के साथ मिल कर किया गया था।

**15.3.2.12** एपीडा ने आईटीपीओ द्वारा शिलांग, मेघालय में 10–17 दिसंबर, 2018 के दौरान आयोजित **10वें हिमालयन एक्स्पो** में 100 वर्ग मीटर का क्षेत्र ले कर भाग लिया और पूर्वोत्तर क्षेत्र के उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए वहाँ के निर्यातकों को नि:शुल्क स्टॉल उपलब्ध कराए।

**15.3.3 दक्षिण क्षेत्र**

**15.3.3.1** **आहार, चेन्नई** – खाद्य एवं सत्कार मेला / एसआईसीए पाक कला प्रदर्शनी / होटल खरीद प्रबंधक फोरम बैठक – 23–25 अगस्त, 2018

**15.3.3.2** **तमिलनाडु चौंबर्स ऑफ फाउंडेशन, युवा उद्यमी केंद्र** द्वारा प्रायोजित मदुरई में आयोजित **वाइब्रेंट तमिलनाडु वैश्विक खाद्य एक्स्पो एवं सम्मेलन** – प्रथम संस्करण – 12–15 अगस्त, 2018

**15.3.3.3** तंजावुर में 28.11.2018 को आयोजित बाजरा मूल्य संवर्धन एवं विपणन की संभावनाओं पर राष्ट्र स्तरीय परामर्श वार्ता।

**15.33.4** 15 और 16 मई, 2018 को मुंबई में **दूसरी रिवर्स क्रेता-विक्रेता बैठक** में भागीदारी।

**15.3.3.5** 18 से 20 जनवरी, 2019 के दौरान बंगलुरु में जैविक एवं बाजरा उत्पादों पर अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला।

**15.3.3.6** 28.12.2018 को थ्रिसुर में केरल सरकार द्वारा आयोजित **कृषि प्रसंस्करण एवं मूल्य संवर्धन ( वीएआईजीए )** पर अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला।

**15.3.3.7** 23 से 26 जनवरी, 2019 के दौरान **आई.आई.एच.आर. द्वारा बंगलुरु में आयोजित राष्ट्रीय बागवानी मेला**।

**15.3.3.8** **कर्नाटक राज्य आम विकास कॉर्पोरेशन** द्वारा 4 अप्रैल, 2019 को रामनगर में आयोजित **आम क्रेता-विक्रेता बैठक**।

**15.3.4 पश्चिमी क्षेत्र**

**15.3.4.1** 2–4 अगस्त, 2018 के दौरान **15वें अंतर्राष्ट्रीय कृषि खाद्य एवं पेय प्रसंस्करण एक्स्पो-2018**, गोवा में भागीदारी की।

**15.3.4.2** 27-29 सितंबर, 2018 के दौरान गोरेगांव में **अन्नपूर्णा - खाने की दुनिया, भारत 2018** में भाग लिया।

**15.3.4.3** 23-26 नवंबर, 2018 के दौरान नागपुर में **10वीं एग्रोविजन प्रदर्शनी** में भाग लिया।

**15.3.4.4** 23-27 अक्तूबर, 2018 के दौरान वाशी में **19वें विश्व खाद्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सम्मेलन 'आईयूएफओएसटी'** में भागीदारी की।

**15.3.4.5** 18-20 दिसंबर, 2018 के दौरान गोरेगांव में आयोजित **16वीं कृषि खाद्य एवं पेय प्रसंस्करण एक्स्पो** प्रदर्शनी में भाग लिया।

# 16. एपीडा के क्षेत्रीय कार्यालयों के क्रिया-कलाप

## 16.1 क्षेत्रीय कार्यालय - गुवाहाटी

### 16.1.1 निर्यात संवर्धन प्रयास

#### 16.1.1.1 पूर्वोत्तर से निर्यात और गुवाहाटी हवाईअड्डे पर सीमाशुल्क स्वीकृति सुविधा

पूर्वोत्तर के इतिहास में पहली बार सब्जियों की प्रथम सीमाशुल्क स्वीकृत खेप 17 नवंबर, 2018 को दुबई भेजी गई। इस खेप में सब्जियाँ थीं (फ्लैट सेम, गांठ गोभी, नुकीली लौकी, बैंगन, असम का नींबू और खीरा) जिनका कुल वजन 810 किग्रा था। इसके अतिरिक्त निर्यात के लिए एक अनिवार्य आवश्यकता पादप स्वच्छता प्रमाणपत्र गुवाहाटी हवाईअड्डे से ही जारी किया गया। एपीडा ने इस निर्यात को सुविधाजनक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

तब से गुवाहाटी हवाईअड्डे से अधिकतर मध्य पूर्व देशों और लंदन को ताजे फलों एवं सब्जियों की नियमित खेप भेजी जा रही है।

#### 16.1.1.2 केलों का परीक्षण शिपमेंट

दुबई के बाजार में परीक्षण विपणन हेतु 2 मई, 2018 को गुवाहाटी, असम से हवाई मार्ग से दिल्ली होते हुए दुबई को पहली बार 1 एमटी केलों (मालभोग किस्म) का निर्यात किया गया था।

#### 16.1.1.3 पूर्वोत्तर से सूअर के माँस और सूअर के माँस के उत्पादों का संवर्धन

एपीडा के प्रयासों से एक निजी निर्यातक ने नाजिरा, असम में असम राज्य पशुधन विकास कॉर्पोरेशन (एएलपीसीओ) की राज्य सरकार द्वारा संचालित माँस प्रसंस्करण इकाई को लीज पर लिया है। इस संबंध में निर्यातक और असम सरकार के बीच एक समझौता ज्ञापन किया गया है। यह पूर्वोत्तर में प्रथम निर्यात उन्मुखी आधुनिक सूअर के माँस के प्रसंस्करण की सुविधा होगी जिसमें टीआईईएस स्कीम के अंतर्गत 400 पशु (सूअर) प्रति दिन काटने की क्षमता होगी। इस परियोजना से सिबसागर, असम और आस-पास के जिलों में वैज्ञानिक तरीके से सूअर पालने और सूअर के माँस तथा सूअर के माँस के उत्पादों के निर्यात द्वारा आय में वृद्धि से 15,000 से अधिक परिवारों को लाभ पहुँचने की संभावना है।

#### 16.1.1.4 5-6 मार्च, 2019 को गुवाहाटी, असम में पूर्वोत्तर कृषि उत्पादों के संबंध में निर्यात संवर्धन सम्मेलन सह अंतर्राष्ट्रीय क्रेता-विक्रेता बैठक

पूर्वोत्तर कृषि उत्पादों के संबंध में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय क्रेता-विक्रेता बैठक एपीडा द्वारा 5-6 मार्च, 2019 के दौरान गुवाहाटी, असम में आयोजित की गई। इस सम्मेलन ने कृषि उत्पादों के विपणन एवं निर्यात के अवसर तलाशने के लिए अंतर्राष्ट्रीय तथा राष्ट्रीय क्रेताओं, निर्यातकों और प्रगतिशील उत्पादकों तथा एफपीसी के बीच बी2बी बैठकों के लिए एक मंच उपलब्ध कराया। दस देशों अर्थात संयुक्त राज्य अमीरात, लाओस, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर,

हाँग काँग, म्यांमार, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश के कुल बीस अंतर्राष्ट्रीय क्रेताओं ने 60 भारतीय निर्यातकों (पूर्वोत्तर के 43 निर्यातकों सहित) के साथ चर्चा की। इस सम्मेलन में 75 से अधिक किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) ने भी भाग लिया। कृषि उत्पादों की एक प्रदर्शनी भी आयोजित की गई थी जिसमें विभिन्न सरकारी विभागों और स्टेकहोल्डरों ने कृषि उत्पादों का प्रदर्शन किया और इन संगठनों द्वारा किए गए सहयोग क्रियाकलापों का संक्षिप्त ब्यौरा दिया। यह अनुमान है कि यह पूर्वोत्तर निर्यातकों को एक बाजार संपर्क उपलब्ध कराएगा।

#### 16.1.1.5 क्रेता-विक्रेता बैठक (बीएसएम)

एपीडा ने त्रिपुरा सरकार के साथ मिल कर 23.07.2018 को जैविक उत्पादों पर एक क्रेता-विक्रेता बैठक का आयोजन किया। इस बीएसएम में एफपीओ/एफपीसी, निर्यातकों, सिमफेड, एमएसटीसी, एनईआरएएमएसी, राज्य सरकार के अधिकारियों आदि ने भाग लिया।

एपीडा ने 15 से 16 मई, 2018 के दौरान एपीडा द्वारा मुंबई में आयोजित रिवर्स क्रेता-विक्रेता (आरबीएसएम) बैठक में त्रिपुरा सरकार की भागीदारी को सुगम बनाया, जिसमें 21 देशों के 51 आयातकों ने भाग लिया। त्रिपुरा के जीआई टैग वाले क्वीन अन्नानास को अच्छी प्रतिक्रिया मिली।

एपीडा ने असम के बागवानी उत्पादों के लिए 25 जुलाई, 2018 को गुवाहाटी में बागवानी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, असम सरकार द्वारा आयोजित "क्रेता-विक्रेता बैठक" में भाग लिया।

### 16.1.2 क्षमता निर्माण कार्यक्रम/प्रशिक्षण कार्यक्रम/जागरूकता कार्यक्रम

**16.1.2.1** एपीडा द्वारा पूर्वोत्तर राज्य सरकारों के आठ अधिकारियों के लिए 28 से 31 मई, 2018 के दौरान राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम (एनपीओपी) पर प्रशिक्षण आयोजित किया गया था।

**16.1.2.2** एपीडा द्वारा असम कृषि विश्वविद्यालय, जोरहाट के साथ मिल कर असम कृषि विश्वविद्यालय, जोरहाट में 29 जून, 2018 को शहद के गुणवत्तापारक उत्पादन के लिए मधुमक्खी को वैज्ञानिक तरीके से पालने में प्रशिक्षण आयोजित किया गया था।

**16.1.2.3** एपीडा और मसाला बोर्ड ने 4 जनवरी, 2019 को गुवाहाटी में असम सरकार के कृषि/बागवानी संबंधी अधिकारियों के लिए संयुक्त रूप से प्रशिक्षण का आयोजन किया, जिसके बाद मसालों के प्रसंस्करण को समझने के लिए गुवाहाटी में एक मसाला प्रसंस्करण इकाई का अध्ययन दौरा किया गया।

**16.1.2.4** एपीडा द्वारा कृषि विभाग, असम के साथ असम से सब्जियों के निर्यात के लिए गुणवत्ता आवश्यकताओं के संबंध में नगाँव, असम में किसानों/एफपीसी के लिए प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण में निर्यात की प्रक्रियाएँ, पादप संगरोध आवश्यकता, पैक हाउस की आवश्यकताएँ, सब्जियों का फसल कटाई पश्चात प्रबंधन शामिल था। पादप संगरोध अधिकारियों द्वारा कीट/रोग पृथककरण के संबंध में एक प्रदर्शन भी किया गया।

**16.1.2.5** एपीडा ने 27 जून, 2018 को कृषि-निर्यात के संबंध में असम के राज्य विस्तार अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जिसके बाद विभाग द्वारा किए जाने वाले खाद्य प्रसंस्करण प्रशिक्षण क्रियाकलापों को समझने के लिए एपीडा द्वारा भारतीय खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईएफपीटी), गुवाहाटी का अध्ययन दौरा समन्वित किया गया।

**16.1.2.6** एपीडा ने दिमापुर, नागालैंड में 29 नवंबर, 2018 को राज्य सरकार के अधिकारियों के लिए कृषि-उद्यमिता के संबंध में आईसीएआर प्रायोजित पाठ्यक्रमों में एक विशेषज्ञ के तौर पर भाग लिया और कृषि निर्यात के संबंध में जानकारी दी।

**16.1.2.7** गुवाहाटी, असम में 13 फरवरी, 2019 को हाल ही में घोषित कृषि निर्यात नीति के संबंध में एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। एफपीओ/एफपीसी/किसानों, उद्यमियों, निर्यातकों सहित लगभग 187 प्रतिभागियों ने इस कार्यशाला में भाग लिया। कार्यशाला के दौरान किसानों/एफपीसी/उद्यमियों को निर्यात प्रक्रियाओं, आयात करने वाले देशों की गुणवत्ता संबंधी आवश्यकताओं, पादप संगरोध आवश्यकताओं और भारत सरकार की विभिन्न वित्तीय सहायता स्कीमों के संबंध में प्रशिक्षण भी दिया गया।

**16.1.3** **19 से 23 नवंबर, 2019 के दौरान जैविक उत्पादों के निर्यात के संबंध में वाणिज्य संबंधी संसदीय समिति की बैठक** - एपीडा ने 20.11.2019 को सिक्किम में और 23.11.2019 को गुवाहाटी में आयोजित जैविक उत्पादों के निर्यात के संबंध में वाणिज्य संबंधी संसदीय समिति की बैठक में भाग लिया।

## 16.2 क्षेत्रीय कार्यालय - हैदराबाद

### 16.2.1 निर्यात संवर्धन प्रयास

**16.2.1.1** चावल इकाइयों को तेलंगाना से चीन को गैर-बासमती चावल का निर्यात करने का अनुमोदन प्राप्त हो गया है।

**16.2.1.2** नुजविद में मैसर्स ए पी एग्रोज पैकहाउस एंड वीएचटी की एपीडा द्वारा वित्तपोषित साझा निर्यात अवसंरचना सुविधा का प्रचालान शुरू करना जो पिछले 7-8 वर्षों से प्रचालन में नहीं थी। विभिन्न विभागों के साथ पैकहाउस सुविधा के सभी प्रत्यायन का सफलतापूर्वक समन्वय किया गया और आम का मौसम शुरू होने से पहले समय से पूरा कर लिया गया।

### 16.2.2 शिष्टमंडल

**16.2.2.1** जापान और दक्षिण कोरिया को आम के आयात के लिए स्थल निरीक्षण तथा स्वीकृति-पूर्व कार्यक्रम के लिए जापान और दक्षिण कोरिया से विदेशी संगरोध निरीक्षकों के दौरे का समन्वय किया, संगरोध निरीक्षक ए पी एग्रोज पैकहाउस एंड वीएचटी सिस्टम, तिरुपति और मैसर्स होटा एग्रो एक्स्पोर्ट्स/ श्री सदा शिव एग्रो एक्स्पोर्ट्स, विशाखापत्तनम में रुके।

**16.2.2.2** जैविक फार्म, कुक्कुट इकाइयों आदि के स्थल दौरे के लिए सिचेलेस सरकार के माननीय कृषि मंत्री के एमएएनएजीई, एनआईआरडी के दौरे का समन्वय किया।

**16.2.2.3** फिलीपींस को माँस तथा माँस उत्पादों के निर्यात के लिए मान्यता प्राप्त करने हेतु फिलीपींस के शिष्टमंडल के तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में स्थित माँस प्रसंस्करण प्लांटों के दौरे का समन्वय किया।

**16.2.2.4** 6-10 अगस्त, 2019 के दौरान वियतनाम के 10 सदस्यीय शिष्टमंडल के आईसीआरआईएसएटी, एमएएनएजीई, उत्कृष्टता केंद्र के दौरे का समन्वय किया।

**16.2.2.5** जैविक खेतों की जांच करने के लिए कोरियाई शिष्टमंडल के दौरे का समन्वय किया।

### 16.2.3 अन्य क्रिया-कलाप

**16.2.3.1** क्षेत्रीय कार्यालय-हैदराबाद ने राज्य बागवानी विभाग, आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा किसानों के साथ वार्ता के लिए ताजे फलों एवं सब्जियों के संभावित निर्यातकों को कार्यप्रवृत्त करने के लिए विजयवाड़ा और तिरुपति में आयोजित क्रेता-विक्रेता बैठक में भाग लिया।

**16.2.3.2** मंत्रालय के अन्य संबंधित विभागों के साथ पूर्वी गोदावरी और विशाखापत्तनम जिलों में अभियान कार्यक्रमों की श्रृंखला के बाद 2 नवंबर, 2009 को भारत के माननीय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा शुरू किए गए एमएसएमई-अभियान कार्यक्रम का समन्वय और आयोजन किया।

## 16.3 क्षेत्रीय कार्यालय - बंगलुरु

### 16.3.1 शिष्टमंडल

**16.3.1.1** संयुक्त राज्य के निरीक्षक के साथ बैठक और 16.04.2018 को मलुर में मैसर्स इनोवा एग्री प्राइवेट लिमिटेड के सुविधा केंद्र का दौरा।

**16.3.1.2** होसुर और चेन्नई में 26 और 27 अक्तूबर, 2018 को ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के तकनीकी दल का कट फ्लावर इकाइयों दौरा।

**16.3.1.3** 30.11.2018 को कनाडा के शिष्टमंडल का मैसर्स एमटीआर फूड्स प्राइवेट लिमिटेड, बंगलुरु का दौरा।

**16.3.1.4** ताजे अनार और अनार के एरिल के प्रति पद्धतिबद्ध दृष्टिकोण की समीक्षा के लिए 22.12.2018 को चीनी संगरोध विशेषज्ञों का बंगलुरु और चित्तूर दौरा।

## 16.4 क्षेत्रीय कार्यालय - कोलकाता

एपीडा का कोलकाता स्थित क्षेत्रीय कार्यालय पूर्वी क्षेत्र में भारतीय उत्पादों के निर्यात के लिए सार्क, सुदूर पूर्वी तथा दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के लिए प्रवेश मार्ग है। एपीडा, कोलकाता कार्यालय का एपीडा के कार्यक्रमों तथा स्कीमों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए राज्य तथा केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों, राज्य विश्वविद्यालयों के साथ अच्छा समन्वय है। हम एपीडा के विकास कार्यक्रम, पूर्वी क्षेत्र में विभिन्न समूह क्षेत्रों में गुणवत्ता तथा अवसंरचना के विकास के लिए वित्तीय सहायता स्कीम के संबंध में सूचना प्रदान करने तथा इसके प्रसार के लिए व्यक्तिगत निर्यातकों के साथ बैठकें कर रहे हैं और विभिन्न व्यापार एवं संस्थागत आयोजनों में भाग ले रहे हैं।

### 16.4.1 निर्यात संवर्धन प्रयास

09.02.2019 को रांची में क्षेत्रीय कार्यालय, कोलकाता द्वारा आयोजित संपर्क कार्यक्रम के परिणाम-स्वरूप जमशेदपुर, झारखंड से एक निर्यातक नामत: ऑल सीजन्स फार्म फ्रेश झारखंड से ताजी सब्जियाँ एनएससीबीआई हवाईअड्डे के माध्यम से दुबई को निर्यात करने के लिए आगे आए। एक भूमि से घिरा राज्य होने के कारण इस राज्य से ताजे उत्पादों का निर्यात एक मुश्किल कार्य रहा है। तथापि क्षेत्रीय कार्यालय-कोलकाता ने निर्यातक को झारखंड से ओकरा (एक एमटी) की सर्वप्रथम खेप दुबई को भेजने के लिए प्रेरित किया। अंत में 19.03.2019 को सीपीसी, एनएससीबीआई हवाईअड्डे पर इस खेप को बुक किया जा सका। यह सूचित किया गया है कि यह खेप दुबई हवाईअड्डे पर अच्छी स्थिति में पहुँच गई है और यह उत्पाद बाजार तक पहुंचाया जा चुका है। यह उम्मीद की जाती है कि इस क्षेत्र से ताजे उत्पादों के निर्यात की मात्रा धीरे-धीरे बढ़ेगी।

### 16.4.2 निरीक्षण और फील्ड दौरे

वर्ष के दौरान क्षेत्रीय कार्यालय, कोलकाता द्वारा 20 निरीक्षण एवं फील्ड दौरे किए गए। इसमें प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों, एपीडा द्वारा वित्तपोषित साझा अवसंरचना सुविधाओं, राज्य सरकार के स्वामित्व वाली साझा अवसंरचना

सुविधाओं और कृषक बाजारों का दौरा, एपीडा से वित्तीय सहायता के लिए आवेदन करने वाली इकाइयों का दौरा, माँस प्रसंस्करण संयंत्रों, एकीकृत बागवानी पैक हाउस आदि की निगरानी शामिल है।

### 16.4.3 माननीय सीआईएम की एफपीओ के साथ वीडियो कोन्फ्रेंस

कृषि निर्यात नीति के मुद्दे पर माननीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री सुरेश प्रभु की अध्यक्षता में वीडियो कोन्फ्रेंस के लिए एसएफएसी और नाबार्ड के साथ उनके संबंधित प्रतिनिधियों की भागीदारी का प्रबंधन करने के लिए समन्वय किया। 11 एफपीओ सदस्यों ने 26 फरवरी, 2019 को वेबेल, सॉफ्टवेयर टेक्नोलोजी पार्क-II, गीतबितन, साल्ट लेक, कोलकाता में एनआईसी स्टुडियो में माननीय सीपीएम की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में भाग लिया।

### 16.4.4 संपर्क कार्यक्रम

**16.4.4.1** 20 अगस्त, 2018 को कोलकाता में एपीडा के क्रिया-कलापों तथा निर्यात संवर्धन वित्तीय सहायता स्कीम के संबंध में एक दिवसीय संपर्क सह सुग्राहीकरण कार्यक्रम आयोजित किया गया था। यह कार्यक्रम काफी सफल रहा।

**16.4.4.2** 19 सितंबर, 2018 को ओएफएमआरडीसी, ओडिशा सरकार, भुवनेश्वर के सम्मेलन कक्ष में "एपीडा के क्रिया-कलापों और निर्यात संवर्धन वित्तीय सहायता स्कीम" के संबंध में एक दिवसीय संपर्क सह सुग्राहीकरण कार्यक्रम आयोजित किया गया।

**16.4.4.3** 5 फरवरी, 2019 को एपीडा, कोलकाता ने कृषि विभाग, बिहार सरकार के साथ मिल कर बीएएमईटीआई, पटना, बिहार में "बिहार के कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के संवर्धन" के संबंध में एक संपर्क कार्यक्रम आयोजित किया है। श्री प्रेम कुमार, माननीय एमआईसी, कृषि, बिहार सरकार ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। राज्य तथा केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों, निर्यातकों, उद्यमियों और अन्य स्टेकहोल्डरों ने कार्यक्रम में भाग लिया।

**16.4.4.4** 9 फरवरी, 2019 को एपीडा, कोलकाता ने कृषि, गन्ना एवं सहकारिता विभाग, झारखंड सरकार के साथ मिल कर रांची (झारखंड) में "झारखंड के कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के संवर्धन" के संबंध में एक संपर्क कार्यक्रम आयोजित किया है। राज्य तथा केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों, निर्यातकों, उद्यमियों और अन्य स्टेकहोल्डरों ने कार्यक्रम में भाग लिया।

### 16.4.5 प्रशिक्षण कार्यक्रम

**16.4.5.1** एपीडा, कोलकाता ने भोला पासवान शास्त्री कृषि विश्वविद्यालय (बीएयू), पूर्णिया के साथ मिल कर 8 अगस्त, 2018 को बीपीएसएसी, पूर्णिया, बिहार में "बिहार राज्य में मक्खन के निर्यात विकास" के संबंध में एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन उप-कुलपति, बिहार कृषि विश्वविद्यालय द्वारा किया गया। बिहार राज्य से मक्खन निर्यात के विकास के लिए कुछ प्रमुख निर्णय लिए गए।

**16.4.5.2** 24.01.2019 को एपीडा, कोलकाता ने कृषि विभाग, पश्चिम बंगाल सरकार के एक वैज्ञानिक के नेतृत्व में 6 कृषि प्रयुक्ति सहायकों (केपीएस) की एक टीम के लिए प्रशिक्षण सह जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। इस प्रशिक्षण का विषय एपीडा के कोलकाता कार्यालय में पूर्वी क्षेत्र से कृषि उत्पाद के निर्यात विकास में एपीडा की भूमिका था। इस कार्यक्रम का उद्देश्य केपीएस को एपीडा के क्रिया-कलापों के संबंध में जागरूक बनाना था ताकि उनके द्वारा किसान समूहों को कृषि निर्यात के संवर्धन के संबंध में जानकारी दी जा सके।

**16.4.5.3** 6 फरवरी, 2019 को एपीडा, कोलकाता ने कृषि विभाग, बिहार सरकार के साथ मिल कर बीएएमईटीआई, पटना, बिहार में "राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम (एनपीपीओ) और निर्यात के लिए जैविक प्रमाणन प्रणालियों" के संबंध में एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया। राज्य तथा केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों, निर्यातकों, उद्यमियों, स्टेकहोल्डरों और 200 से अधिक प्रतिभागियों ने कार्यक्रम में भाग लिया।

**16.4.5.4** 8 फरवरी, 2019 को एपीडा, कोलकाता ने कृषि, गन्ना एवं सहकारिता विभाग, झारखंड सरकार के साथ मिल कर रांची (झारखंड) में "राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम (एनपीपीओ) और निर्यात के लिए जैविक प्रमाणन प्रणालियों" के संबंध में एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया। राज्य तथा केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों, निर्यातकों, उद्यमियों, स्टेकहोल्डरों और 75 से अधिक प्रतिभागियों ने कार्यक्रम में भाग लिया।

**16.4.5.5** 18 फरवरी, 2019 को क्षेत्रीय कार्यालय, कोलकाता ने पश्चिम बंगाल सरकार की आलू निर्यात जोन स्कीम 2018-19 के तहत "विस्तार अधिकारियों के प्रशिक्षण" के संबंध में एक कार्यक्रम में भाग लिया। इस कार्यक्रम का आयोजन उप निदेशक (कृषि), पश्चिम बंगाल सरकार और एपीडा, कोलकाता द्वारा संयुक्त रूप से पुरबा बर्धमान किसान मंडी, कलना रोड, बर्दवान (पश्चिम बंगाल) के सम्मेलन कक्ष में किया गया।

### 16.4.5 कृषि निर्यात नीति 2018 - राज्य विशिष्ट रिपोर्ट

क्षेत्रीय कार्यालय-कोलकाता ने पूर्वी क्षेत्र के चार राज्यों अर्थात पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार और ओडिशा के संबंध में कृषि निर्यात नीति के कार्यान्वयन से संबंधित राज्य विशिष्ट सूचना तैयार की और इसे विधीक्षा हेतु संबंधित राज्य सरकारों को अग्रेषित किया।

### 16.4.6 एमएसएमई का अभियान

भारत सरकार द्वारा अधिसूचित एमएसएमई अभियान के अंतर्गत नवंबर, 2018 से जनवरी, 2019 के दौरान ओडिशा राज्य में पारादीप और जगतसिंहपुर क्षेत्रों में प्रचार कार्यक्रम में भाग लिया।

## 16.5 क्षेत्रीय कार्यालय - मुंबई

### 16.5.1 क्रेता-विक्रेता बैठक (बीएसएम)

#### 16.5.1.1 ताजे उष्णकटिबंधीय फलों के लिए बीएसएम

क्षेत्रीय कार्यालय, मुंबई ने ताजे उष्णकटिबंधीय फलों जैसे आम, अनार, अन्नानास, केले और जैकफ्रूट और भारत के प्रसंस्कृत फल उत्पादों के निर्यात के संवर्धन के लिए दूसरी क्रेता-विक्रेता बैठक का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का आयोजन होटल ललित, मुंबई में 15 और 16 मई, 2018 को किया गया। इस कार्यक्रम का क्रियान्वयन पीएचडीसीसीआई (पीएचडी चौंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री) द्वारा किया गया। बीएसएम का उद्घाटन कंपनी सचिव, वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया गया। बीएसएम में अध्यक्ष, एपीडा और केंद्र तथा राज्य सरकार के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भी भाग लिया। विभिन्न देशों जैसे जापान, चीन, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ईरान, बहरीन, कुवैत, सऊदी अरब, घाना, इजरायल, थाईलैंड, ब्रिटेन, मॉरीशस, मलेशिया, यूनान, मिस्र और संयुक्त अरब अमीरात के लगभग 51 आयातकों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। कुल 150 निर्यातकों, राज्य के 50 अधिकारियों और 50 अन्य आगंतुकों ने क्रेता-विक्रेता बैठक

में भाग लिया। 16 मई, 2018 को आयातकों और राज्य सरकार के अधिकारियों ने आईएफसी और वीएचटी वाशी, नवी मुंबई में आम प्रसंस्करण सुविधा केंद्र का दौरा किया।

**16.5.1.2 अंगूर के लिए बीएसएम**

क्षेत्रीय कार्यालय, मुंबई ने भारत से चीन को ताजे अंगूर के निर्यात के संवर्धन के लिए क्रेता-विक्रेता बैठक का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का आयोजन 27 और 29 नवंबर, 2018 को होटल ललित, मुंबई में किया गया और इसका क्रियान्वयन पीएचडीसीसीआई (पीएचडी चौंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री) द्वारा किया गया। बीएसएम का उद्घाटन अध्यक्ष, एपीडा द्वारा किया गया। चीन के लगभग 22 आयातक, 104 निर्यातक, केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारी और राज्य के 15 अधिकारी कार्यक्रम में उपस्थित थे। प्रथम दिन बीएसएम में चीनी आयातकों और भारतीय निर्यातकों के बीच व्यक्तिगत रूप से बैठक की व्यवस्था की गई। 28-29 नवंबर, 2018 को चीनी आयातकों और एपीडा के अधिकारियों ने नाशिक में मैसर्स फ्रेशट्रोप फ्रूट्स, मैसर्स यूरो फ्रूट्स और मैसर्स सहयादरी फार्मर्स प्रोड्यूसर्स कंपनी पैकहाउस का दौरा किया।

**16.5.1.3** वेंगुरला और रत्नागिरी में आम के लिए बीएसएम: क्षेत्रीय कार्यालय, मुंबई ने कोंकण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत एमएसएएमबी के साथ मिल कर वेंगुरला और रत्नागिरी में आम की क्रेता-विक्रेता बैठकों का आयोजन किया।

प्रथम बीएसएम का आयोजन वेंगुरला जिला संधुदुर्ग में 26 मार्च, 2019 को किया गया, लगभग 120 किसानों, 25 निर्यातकों और नीदरलैंड्स से मैसर्स एग्रो इंडी कंपनी के श्री लेमी और सुश्री मार्गरेट ने भाग लिया। बीएसएम में आम उत्पादकों और निर्यातकों के बीच व्यक्तिगत बैठक आयोजित की गई।

दूसरी क्रेता-विक्रेता बैठक 27 मार्च, 2019 को रत्नागिरी में आयोजित की गई। लगभग 170 किसानों, 45 निर्यातकों और नीदरलैंड्स से मैसर्स एग्रो इंडी कंपनी के श्री लेमी और सुश्री मार्गरेट ने बीएसएम में भाग लिया। बीएसएम में आम उत्पादकों और निर्यातकों के बीच व्यक्तिगत बैठक आयोजित की गई। एफओ (एलजी) ने कार्यक्रम में एपीडा का प्रतिनिधित्व किया।

**16.5.1.4** उत्तर प्रदेश राज्य बागवानी सहकारी विपणन संघ (एचओएफईडी) ने एपीडा के साथ मिलकर 4 मई, 2018 को होटल फॉर्च्यून एक्जोटिका, वाशी में "उत्तर प्रदेश से आम के निर्यात के लिए क्रेता-विक्रेता बैठक" का आयोजन किया। लगभग 50 निर्यातकों, राज्य के 30 अधिकारियों ने इस क्रेता-विक्रेता बैठक में भाग लिया।

**16.5.2 संगोष्ठी / कार्यशाला / जागरूकता कार्यक्रम / जैविक ऑडिट / क्षमता निर्माण / प्रशिक्षण कार्यक्रम**

- 1 जून, 2018 को दक्षिण कोरिया के संगरोध निरीक्षक श्री ली का तालुका मावल, जिला पुणे का एक फील्ड दौरा आयोजित किया गया।
- क्षेत्रीय कार्यालय मुंबई, एमएसएएमबी और राज्य प्रशासन ने अकोला जिले में केले के समूह विकास के लिए प्रयास किए थे। अकोला के केला समूह में पिछले वर्ष के विकास की समीक्षा करने और चालू वर्ष के लिए कार्य योजना तैयार करने के लिए भी जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में 06 जुलाई, 2018 को कलेक्टर कार्यालय, अकोला में एक बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक के दौरान एफपीओ और निर्यातकों के बीच तीन करार किए गए।

- 21.6.2018 को रत्नागिरी में और 22.06.2018 को सिंधुदुर्ग में "निर्यात हेतु शेल्फ आयु बढ़ाने के लिए ताजे आम, सुखी मछली, कोकम और काजू गिरी की पैकेजिंग की आधुनिक तकनीकों" पर कार्यशाला में भाग लिया। इस कार्यक्रम का आयोजन आईआईपी मुंबई द्वारा एपीडा, एमपीईडीए, मसाला बोर्ड, भारतीय काजू निर्यात संवर्धन परिषद (सीईपीसीआई), डीआईसी और राज्य बागवानी/कृषि विभाग के साथ मिल कर स्थानीय जिला प्रशासन के साथ किया गया था।
- महाराष्ट्र राज्य अंगूर उत्पादक संघ द्वारा 23 अगस्त, 2018 को पुणे में आयोजित 58वीं वार्षिक सामान्य बैठक (एजीएम) में भाग लिया।
- एपीडा ने डीजीआर, जूनागढ़ के साथ मिल कर 1 सितंबर, 2018 को डीजीआर, जूनागढ़ में "मूँगफली तथा मूँगफली उत्पादों के निर्यातकों/प्रोसेसरों के लिए सुग्राहीकरण कार्यक्रम" का आयोजन किया। यह कार्यक्रम निर्यातकों और अन्य स्टेकहोल्डरों को प्रणाली को सुदृढ़ बनाने के लिए च्मंदनज.छमज में संशोधनों और एपीडा की नई वित्तीय सहायता स्कीमों, जिनका उपयोग निर्यातकों द्वारा किया जा सकता है, के संबंध में जानकारी के प्रसार के संबंध में सुग्राही बनाने के लिए किया गया था।
- 17-20 सितंबर, 2018 के दौरान एनपीओपी, कोयंबटूर के अंतर्गत तमिलनाडु जैविक प्रमाणन विभाग (टीएनओसीडी) के जैविक नवीकरण ऑडिट का आयोजन किया।
- 12 अक्तूबर, 2018 को वनमती, नागपुर में "कृषि उत्पादन संवर्धन प्रबंधन" पर प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया। इस प्रशिक्षण का आयोजन महाराष्ट्र के तालुका स्तरीय कृषि तकनीकी अधिकारियों के लिए किया गया था। कार्यक्रम के प्रतिभागियों को एपीडा के प्रयासों तथा स्कीमों के संबंध में समझाया गया।
- क्षेत्रीय कार्यालय, मुंबई ने ताजा फल एवं सब्जी संघों (वीएएफए) और अंगूर निर्यातकों के प्रतिनिधियों के साथ बंदरगाह पर बंदरगाह जमाव और संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए 16 अक्तूबर, 2018 को श्री नीरज बंसल, आईआरएस, अध्यक्ष, जेएनपीटी के साथ एक बैठक की। अध्यक्ष, जेएनपीटी ने बंदरगाह पर सुचारु कार्य संचालन के लिए हर संभव सहयोग देने का आश्वासन दिया। उन्होंने सूचित किया कि जेएनपीटी स्कैनर और पीसीएस प्रणालियाँ संस्थापित कर रहा है जो जेएनपीटी बंदरगाह पर कार्गो क्लीयरेंस की प्रक्रिया में तेजी लाएँगे।
- 31 अक्तूबर, 2018 को क्षेत्रीय फल अनुसंधान केंद्र, वेंगुरला में एमएसएएमबी के साथ मिल कर 'निर्यात किए जाने योग्य आम के उत्पादन एवं आम के निर्यात' पर कार्यशाला का आयोजन किया। यह कार्यक्रम कोकन विकास योजना का हिस्सा था। कार्यक्रम के प्रतिभागियों को एपीडा के प्रयासों तथा स्कीमों की जानकारी दी गई। लगभग 225 किसानों ने इस कार्यशाला में भाग लिया।
- 27 दिसंबर, 2018 को होटल ओर्किड में श्री संतोष कुमार सारंगी, संयुक्त सचिव (वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार) की अध्यक्षता में एपीडा के अनुसूचित उत्पादों के 35 अग्रणी निर्यातकों के साथ कृषि निर्यात नीति के संबंध में वार्ता बैठक आयोजित की।
- क्षेत्रीय कार्यालय मुंबई ने 13-16 जनवरी, 2019 को शहडोल जिला, मध्य प्रदेश में बोहरी में और इसके आस-पास कृषि निर्यात संभावनाओं की तलाश के लिए एक सर्वेक्षण आयोजित किया।
- 21-23 जनवरी, 2019 के दौरान मैसर्स सतगुरु मेनेजमेंट कंसल्टेंट्स के माध्यम से संयुक्त राज्य अमेरिका को प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के निर्यातकों के लिए "मानव खाद्य के निवारक नियंत्रण" पर तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य क्षेत्र के उभरते हुए

निर्यातकों, महिला उद्यमियों सहित 50 उद्यमियों ने भाग लिया। एपीडा के प्रयास के लिए प्रतिभागिद्यों द्वारा सकारात्मक प्रतिक्रिया दी गई।

- 26 जनवरी, 2019 को गोवा हवाईअड्डे पर जीआई स्टॉल के उद्घाटन कार्यक्रम में भाग लिया। जीआई स्टॉल का उद्घाटन माननीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री सुरेश प्रभु द्वारा किया गया। ओई (पीएबी) ने एपीडा का प्रतिनिधित्व किया।
- "कृषि निर्यात नीति के प्रचार एवं जागरूकता" के लिए वैकुंठ मेहता राष्ट्रीय सहकारिता प्रबंधन संस्थान, शिवाजी नगर, पुणे में 2 फरवरी, 2019 को दोपहर 3:30 बजे पुणे के किसानों तथा अन्य स्टेकहोल्डरों के लिए एक दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन माननीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री सुरेश प्रभु द्वारा किया गया। श्री संतोष कुमार सारंगी, संयुक्त सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, अध्यक्ष, एपीडा और केंद्र एवं राज्य सरकार के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने बैठक में भाग लिया। डीजीएम (एस), डीजीएम (आर), एजीएम (पीपीडब्ल्यू), ओई (पीएबी) ने उपर्युक्त कार्यक्रम का समन्वय किया। लगभग 150 किसानों, प्रमुख निर्यातकों और अन्य स्टेकहोल्डरों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया।
- एमएसएएमबी ने महाराष्ट्र राज्य में कृषि निर्यात नीति के कार्यान्वयन के लिए यशदा, पुणे में 8 मार्च, 2019 को एक संगोष्ठी एवं स्टेकहोल्डर परामर्श बैठक का आयोजन किया। श्री सुहास दिवासे, आईएएस, आयुक्त, कृषि ने इस संगोष्ठी का उद्घाटन किया। क्षेत्रीय कार्यालय, मुंबई ने कृषि निर्यात नीति और राज्य सरकार से अपेक्षित सहयोग के संबंध में पावर पॉइंट प्रस्तुतीकरण दिया। कृषि विभाग के अधिकारियों, निर्यातकों, किसान उत्पादक संगठनों और प्रगतिशील किसानों, कृषि निर्यात के परामर्शदाताओं, और बैंक अधिकारियों ने इस बैठक में भाग लिया।
- ऑस्ट्रेलिया को अंगूर के निर्यात के लिए ऑस्ट्रेलियाई विशेषज्ञ से "पादप स्वच्छता जोखिम प्रबंधन के लिए मार्गवर्ती शीतलन" हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम का समन्वय किया। इसका आयोजन गेटवे ऑफ ताज होटल, नासिक में 13-15 मार्च, 2019 को किया गया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य एनपीपीओ अधिकारियों और निर्यातकों को ऑस्ट्रेलिया को अंगूर के निर्यात के लिए अपनाई गई संगरोध आवश्यकताओं के संबंध में सुग्राही बनाना था। ऑस्ट्रेलिया को अंगूर निर्यात करने वाले निर्यातकों, राज्य कृषि अधिकारियों, एनपीपीओ अधिकारियों और एपीडा अधिकारियों सहित लगभग 35 प्रतिभागियों ने इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया।
- क्षेत्रीय कार्यालय मुंबई में 14 मार्च, 2019 को श्री यू के वत्स, महाप्रबंधक, एपीडा की अध्यक्षता में ताजे फलों एवं सब्जियों के निर्यातकों, आम प्रसंस्करण के सुविधा प्रचालकों, एपीडा, आरपीक्यूएस तथा एमएसएएमबी के अधिकारियों के साथ एक बैठक का आयोजन किया गया। लगभग 35 निर्यातकों ने इस बैठक में भाग लिया। चर्चा के केंद्र में उच्च माल भाड़ा लागत, चार सब्जियों के लिए प्रोटोकॉल/एसओपी, निरीक्षकों का ठहराव आदि मुद्दे थे। बैठक का कार्यवृत्त सूचना एवं आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई हेतु मुख्यालय को भेजा गया था।

**16.5.3 क्षेत्रीय कार्यालय, मुंबई द्वारा निम्नलिखित कार्य किए/के लिए समिति में शामिल हुआ:**

- ईयू संयुक्त निरीक्षण/पैक हाउस ऑडिट: 106
- माँस प्लांट पंजीकरण समिति का दौरा: 8
- मूँगफली प्रसंस्करण पंजीकरण समिति का दौरा: 37

- निरीक्षण समिति के दौरों के लिए पैनल सदस्य के तौर पर ईआईए और एमओएफपीआई के दौरों में साथ दिया: 3
- एनपीपीओ पैनल निरीक्षण समिति के दौरे: 40
- सीमा शुल्क/ एजेंसियों / स्टेकहोल्डरों के साथ बैठक: 44
- वास्तविक सत्यापन से पहले सत्यापन/वास्तविक सत्यापन: 61

### 16.5.4 शिष्टमंडल

क्षेत्रीय कार्यालय, मुंबई ने वर्ष के दौरान पश्चिमी क्षेत्र में निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय शिष्टमंडलों के दौरे का समन्वय किया:

- 10 अप्रैल, 2018 को जैविक प्रमाणन के लिए दक्षिण कोरियाई शिष्टमंडल
- 20-23 जून, 2018 को एफएमडी नियंत्रण के मूल्यांकन के लिए ओआईई शिष्टमंडल
- 04-06 सितंबर, 2018 के दौरान अनार प्रसंस्करण सुविधा केंद्र तथा अनार के खेतों के दौरे के लिए ऑस्ट्रेलियाई शिष्टमंडल
- 22-25 अक्तूबर, 2018 के दौरान कट फ्लावर उत्पादन क्षेत्रों तथा सुधार सुविधा केन्द्रों के दौरे के लिए ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का शिष्टमंडल
- 29 नवंबर, 2018 को चीन का उच्चस्तरीय शिष्टमंडल
- 25 नवंबर से 7 दिसंबर, 2018 तक भेड़ एवं भैंस के माँस के लिए एसएफडीए का शिष्टमंडल
- 2 से 4 दिसंबर, 2018 के दौरान भैंस के माँस के लिए फिलीपींस का शिष्टमंडल
- ताजे अनार और अनार के एरिल के लिए पद्धतिबद्ध दृष्टिकोण की समीक्षा के लिए 16-23 दिसंबर, 2018 के दौरान चीनी शिष्टमंडल का दौरा

### 16.5.5 वर्ष के दौरान उपलब्धियां

(1) 6 अप्रैल, 2018 को अकोला जिले (विदर्भ क्षेत्र) से अकोला, अकोला जिला समूह से केले के प्रथम व्यावसायिक निर्यात कंटेनर को फ्लैग ऑफ करने का कार्यक्रम।

(2) एफपीओ और अकोला के निर्यातकों के बीच तीन समझौता ज्ञापन किए गए। केले और अनार के लिए नरनाला फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, अकोट ने मैसर्स आईएनआई फार्म्स, मुंबई के साथ और सब्जियों के लिए मोर्ना फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी, अकोला ने मैसर्स ईवा एक्स्पोर्ट्स, नागपुर के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

(3) आम के मौसम के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और कोरिया के निरीक्षकों को आईएफसी और वीएचटी वाशी, मुंबई में ठहराया गया। निम्न एमटी आमों का निर्यात किया गया।

- संयुक्त राज्य अमेरिका - 1095 एमटी
- जापान - 20.90 एमटी
- कोरिया - 35.33 एमटी

## 17. एपीडा का पुनर्गठन

दिनांक 24 जनवरी, 2019 को पत्र संख्या 6/14/2016-ई.पी (एग्री. IV) द्वारा वाणिज्य विभाग ने एपीडा की पुनर्गठन योजना को मंजूरी दे दी है। इसके अतिरिक्त वर्तमान में, एपीडा के मुंबई, कोलकाता, बैंगलोर, हैदराबाद और गुवाहाटी में पांच क्षेत्रीय कार्यालय हैं। चंडीगढ़, चेन्नई, कोच्चि, अहमदाबाद और लखनऊ में स्थापित किए जाने वाले पांच नए क्षेत्रीय कार्यालयों को वाणिज्य विभाग द्वारा अनुमोदित किया गया है।

## 18. कृषि निर्यात पॉलिसी

भारत की कृषि निर्यात नीति को यदि आंतरिक उत्पादन प्रणाली के तंत्र, अवसंरचना एवं लॉजिस्टिक्स, पैकेजिंग एवं मजबूत संस्थागत सेट के अंतर्गत बाजार पहुंच समर्थन द्वारा प्रोत्साहित किया जाए तो विश्व में भारत को खाद्य उत्पादों के एक बड़े आपूर्तिकर्ता के रूप प्रस्तुत किया जा सकता है। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए हाल ही में मध्यवर्तन की श्रृंखला को प्रभावी ढंग से संबोधित करने के लिए भारत सरकार द्वारा एक सर्व-समावेशी कृषि निर्यात नीति की घोषणा की गई है।

कृषि निर्यात नीति को भारत सरकार की पॉलिसियों एवं विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत निर्यात उन्मुख उत्पादन, निर्यात संवर्धन, बेहतर किसान प्राप्ति और सिंक्रनाइजेशन पर ध्यान केंद्रित करने के साथ तैयार किया गया है। यह मूल्य श्रृंखला की क्षति को कम करने के लिए स्रोत पर मूल्य संवर्धन हेतु एक किसान केंद्रित दृष्टिकोण पर संकेंद्रित है। यह नीति खाद्य प्रसंस्करण / विनिर्माण को आगे बढ़ाने का लक्ष्य लेकर चल रही है, जिससे भारत की वैश्विक स्तर पर अपने कृषि निर्यात बास्केट में मूल्य वर्धित प्रसंस्कृत उत्पादों की भागीदारी बढ़ने की उम्मीद है।

इसके व्यापक उद्देश्यों और दूरदृष्टि पर प्रकाश डाला गया है:

- वर्ष 2022 तक वर्तमान 30+ बिलियन अमरीकी डॉलर को 60+ बिलियन अमरीकी डॉलर तक के कृषि निर्यात में दोगुना करना और इसके बाद अगले कुछ वर्षों में स्थिर व्यापार नीति के साथ इसे 100 बिलियन अमरीकी डॉलर तक पहुंचाना।
- हमारे निर्यात बास्केट, गंतव्यों में विविधता लाना और पर्शिबल्स खाद्य पर ध्यान केंद्रित करने सहित उच्च मूल्य और मूल्य वर्धित कृषि निर्यातों को बढ़ावा देना।
- नवीन, स्वदेशी, जैविक, जातीय, पारंपरिक और गैर-पारंपरिक कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देना।
- बाजार पहुंच को आगे बढ़ाने, बाधाओं को सुलझाने और स्वच्छता एवं पादप-स्वच्छता मुद्दों से निपटने के लिए एक संस्थागत तंत्र प्रदान करना।
- भारत की हिस्सेदारी को जल्द से जल्द वैश्विक मूल्य श्रृंखला के साथ एकीकृत करके विश्व कृषि निर्यात में दोगुना करने का प्रयास करना।
- विदेशी बाजार में निर्यात के अवसरों का लाभ पाने के लिए किसानों को सक्षम करना।

एपीडा
APEDA


कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा)
(वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार)

3rd Floor, NCUI Building 3, Siri Institutional Area, August Kranti Marg,

(Opp. Asiad Village), New Delhi - 110 016, India

Phone: 91-11-26513204, 26513219, 26514572, 26526196 • Fax: 91-11-26526187

E-mail: headq@apeda.gov.in • Website: www.apeda.gov.in



Scientific Publishing 98101 77845